



सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार उद्यम)

20^{वीं} वार्षिक प्रतिवेदन
2024 - 2025

सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: इंडियन मेरीटाइम विश्वविद्यालय, उत्तंडी चेन्नै - 600 119

सीआईएन: यू75111टीएन2004जीओआई054824

बोर्ड के निदेशक

श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्रीमती जे.पी.आइरिन सिंदिया, आई.ए.एस.,

कामराजर पोर्ट लिमिटेड - नामित निदेशक

श्री पोलमराजू लक्ष्मी हरानाद, आई.आर.टी.एस

पारादीप पत्तन प्राधिकरण- नामित निदेशक

श्री सुशांत कुमार पुरोहित, आई.आर.टी.एस

वी.ओ.चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण- नामित निदेशक

श्री दुर्गेश कुमार दुबे, आई आर टी एस.,

विशाखपटनम पत्तन प्राधिकरण- नामित निदेशक

&

ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड - नामित निदेशक

श्री प्रदीप कुमार राय

सरकारी नामित निदेशक

श्री रितुराज मिश्रा

सरकारी नामित निदेशक

रियर अडमिरल जस्विंदर सिंह

ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड - नामित निदेशक

श्री मल्ल श्रीनिवास राव

महा प्रबंधक (वित्त)

लेखापरीक्षक

मेसर्स रवि & रघु

चार्टर्ड एकाउंटेंट, चेन्नै

प्रधान बैंकर्स

इंडियन बैंक, हारबर शाखा, चेन्नै-600 001

पंजीकृत कार्यालय

इंडियन मारीटाइम विश्वविद्यालय, उत्तंडी, चेन्नै - 600 119

कार्पोरेट कार्यालय

चौथा तल, (उत्तरी स्कंध) पुराने प्रशासनिक भवन, चेन्नै पत्तन प्राधिकरण राजाजी सालै, चेन्नै

- 600 001

विषय

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	कार्पोरेट सूचना	1
2	सहा. महा. प्र. के लिए नोटिस	3
3	निदेशक का रिपोर्ट	10
4	कार्पोरेट शासन पर रिपोर्ट	40
5	सी एवं ए जी की टिप्पणी	50
6	संविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	52
7	दि.31 मार्च 2025 तक की लेखा परीक्षा	76
8	लेखा नीति तथा लेखे पर टिप्पणी	78
9	नकद प्रवाह विवरणिका	94

सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड

अध्यक्ष का संदेश



प्रिय शेयरधारकों

एससीएल के निदेशक बोर्ड तथा मेरी ओर से, आपके कंपनी के इस बीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक में आपको स्वागत करने में हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेखा परीक्षित लेखा, निदेशक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षक प्रतिवेदन आपके बीच पहले ही वितरित किया गया है।

आप इस बात से अवगत हैं कि भारत में, 12 मुख्य बंदरगाह और 200 गैर महा पत्तनों के साथ 7500 किलोमीटर का तट उपलब्ध है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिम तटों के बीच नौवहन व्यापार भी बहुत ही दीर्घावधि से चालित है। भारत के तट में पूर्वी तथा पश्चिमी तटों को जुड़ानेवाले निरंतर नौपरिवहन चैनल न होने के कारण से, पॉक स्ट्रेट तथा आदम ब्रिज क्षेत्र में उथला पानी की उपलब्धता के कारण से जहाजों को श्रीलंका के तटों का परिभ्रमण करना पड़ रहा है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों तथा अन्य देशों के बीच स्टीमिंग दूरी को कम करने के लिए तथा भारत के प्रादेशिक जलों के अन्दर नौपरिवहन को विकसित करने के लिए, सेतुसमुद्रम केनल नामक जहाज केनल को काटने के लिए 1860 से कई प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

चैनल को स्थापित करने की दृष्टिकोण से, भारत सरकार ने सितंबर 2, 2004 को सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड (एससीएल) को विशेष प्रयोजन वेहिकल के रूप में निर्माण किया और इसे कंपनी के रूप में दिसंबर 6, 2004 को निगमित किया गया।

परियोजना का वर्तमान स्थिति

विभिन्न विसंगति के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय ने दि.14.09.2007 को आदम ब्रिज/राम सेतु में ड्रेजिंग कार्य को लंबित कर दिया। लंबित न्यायालय मामलों के कारण सभी ड्रेजिंग कार्यों को पाल्क बे/पाल्क स्ट्रेइट में जुलाई 2009 के दौरान रोक दिया गया।

मार्च 2018 के दौरान भारत सरकार ने साक्षी फाइल करके यह बताया कि भारत सरकार ने राष्ट्र के हित में आदम ब्रिज/राम सेतु को बाधा/नष्ट किए बिना सेतुसमुद्रम जहाज चैनल परियोजना के पिछले संरेखन पर दूसरा विकल्प देखना चाहा तथा माननीय न्यायालय द्वारा याचिका का निपटान किया गया तथा हियरिंग व अंतिम निर्णय अपेक्षित है।

पाल्क बे/पाल्क स्ट्रेइट में ड्रेजिंग कार्य की प्रगति

34.50 मिलियन घ.मी की कुल मात्रा में 21.43¹घ.मी अर्थात 62.12% का ड्रेजिंग किया गया।

आदम ब्रिज में ड्रेजिंग कार्य की प्रगति

48.05 मिलियन घ.मी की कुल मात्रा में 9.52 घ.मी अर्थात 19.81% का ड्रेजिंग किया गया ।

परियोजना के साथ संबंधित अन्य कार्य की प्रगति

नौचालन बोया, मूरिंग लॉन्चस और पाइलट लॉन्चस

एससीएल ने 65 सं नेवीगेशनल बोया 8 सं के मूरिंग लांचस तथा 6 सं पाइलट लांचस खरीदा क्योंकि प्रचालन की शुरुआत में विलंब होने कारण एस सी एल ने सभी आइटमों को विभिन्न पोर्टों में ऑवुटराइट सेल के आधार पर बेचा ।

वित्तीय निष्पादन

आपके कंपनी के पास रु.3.15 करोड़ के नकद अधिशेष है तथा विभिन्न बैंकों में अल्प अवधि जमा की है । कंपनी अब भी निर्माण की स्थिति में है तथा प्रचालन अब तक शुरु नहीं हुआ । फिर भी कंपनी ने, पिछले वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए कर के बाद निबल हानि रु.17.55 लाख के विरुद्ध अर्थात, वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान नेविगेशनल एड्स की बिक्री पर रु.226.69 लाख की हानि को विविध समायोजन खाते से हटा दिया गया और लाभ और हानि खाते में नेविगेशनल एड्स की बिक्री पर हानि के रूप में चार्ज किया गया) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने रु.248.20 लाख के निबल हानि का पंजीकृत किया ।

औद्योगिक संबंध

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कर्मचारियों की संख्या शून्य है !

पावती

पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन तथा समर्थन के लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ । मैं, बोर्ड के सहयोगियों को, जिन्होंने बोर्ड के प्रचालनों में सक्रिय भाग लेने अपना बहुमूल्य समय अर्पित किया तथा जिनके गहरे ज्ञान तथा मार्गदर्शन विभिन्न समस्याओं पर उचित निर्णय लेने में अंशदानीय रहा, को आभार प्रकट करना चाहूँगा। बैंकरों तथा कानूनी काउन्सलों को उनकी सहयोग के लिए अपना हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा।

निष्कर्ष

समाप्त करने के पहले, सभी स्तरों के कर्मचारियों द्वारा किये गये ईमानदारीपूर्ण प्रयत्नों की ओर गहरे आभार अभिव्यक्त करना चाहूँगा, जिसने इस वर्ष के दौरान कंपनी की प्रगति को प्रतिवेदित करने में सहयोग प्रदान किया।

ह/-

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड

स्थान : चेन्नै

तारीख : 10.09.2025

सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

सीआईएन: यू75111टीएन2004जीओआई054824

पंजीकृत कार्यालय: इंडियन मेरीटाइम विश्वविद्यालय, उत्तंडी चेन्नै - 600 119

दूरभाष: 044-25270651

नोटिस

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड के शेयर धारकों का बीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक, 24.09.2025 (सोमवार) को 04:00 बजे (आईएसटी) को चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड कक्ष में और विडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) में या अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम)से निम्नलिखित कार्यकलाप को निष्पादन करने के लिए आयोजित की जाएगी :

साधारण कार्यकलाप

1. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि खाते का विवरण, 31 मार्च, 2025 तक का लेखा परीक्षित तुलन पत्र, तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षा जनरल की टिप्पणियां, विचार करने तथा अनुमोदन देने के लिए
2. श्री पोलमराजू लक्ष्मी हरानंद, आई आर टी एस (डीआईएन नंबर 07295378) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश करते हैं।

विशेष कार्यकलाप

3. श्री रियर अडमिरल जसविंदर सिंह (डीआईएन सं. 10104264) निदेशक, (लैनर व पेसंजर सर्वोसस) शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

विचार करने तथा अगर उपयुक्त माना जाता है तो संशोधन के साथ या संशोधन के बिना सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने

“संकल्पित किया जाता है कि रियर अडमिरल जसविंदर सिंह (डीआईएन सं. 10104264) निदेशक, (लैनर व पेसंजर सर्वोसस) शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, जिनको दि.04.02.2025 से बोर्ड के कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया से शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया के पत्र सं ए-10/बीडी/एसईसी/सेतुसमुद्रम द्वारा दि.29.11.2024 से कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।” तथा कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त नहीं होंगे ।

4. श्री रितुराज मिश्रा (डीआईएन सं. 02636799) निदेशक, पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय को नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

विचार करने तथा अगर उपयुक्त माना जाता है तो संशोधन के साथ या संशोधन के बिना सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने

“संकल्पित किया जाता है कि श्री रितुराज मिश्रा (डीआईएन सं. 02636799) निदेशक, पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय जिनको दि.04.02.2025 से बोर्ड के कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया से पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय (पोर्ट स्कंध) के पत्र सं पीडी-26014/7/2004-सेतु (आंशिक फाइल) द्वारा दि.30.10.2024 से कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।” तथा कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त नहीं होंगे ।

बोर्ड के आदेश अनुसार

ह/-

(श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान: चेन्नै

तारीख: 14.08.2025

टिप्पणी

ए) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 के अनुसार सदस्यों के बिना भौतिक उपस्थिति के दि.30 सितंबर, 2025 तक एक ही स्थान पर रहने हेतु, कंपनियों को वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") आयोजित करने की अनुमति है, परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी की 20वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के साथ 20वीं एजीएम का नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा जा रहा है जिनके ईमेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत हैं।

बी) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी किए गए परिपत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) /अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") के आयोजन की अनुमति 30.09.2025 तक दिया गया।

सी) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में मतदान में भाग लेने के हकदार सदस्य को अपनी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, और सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म, रूट मैप और उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्य हाथ उठाकर या पोल के मामले में कंपनी के साथ पंजीकृत अपने ईमेल पते के माध्यम से ईमेल भेजकर बैठक के दौरान संकल्पों पर अपना वोट दे सकते हैं। उक्त ईमेल केवल कंपनी द्वारा परिचालित नामित ईमेल पते पर भेजे जाएंगे।

डी) बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को अधिकृत करने के इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बोर्ड के संकल्प की प्रमाणित प्रति/ऐसे अन्य दस्तावेज भेजें जो उनके प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

ई) सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम गणना करने के उद्देश्य से की जाएगी।

एफ) सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को तुरंत सूचित करें।

जी) इस वार्षिक सामान्य बैठक में नियुक्ति चाहने वाले निदेशक का संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है।

वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश

1. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए वेब लिंक और लॉग-इन क्रेडेंशियल्स नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट को अग्रेषित करने वाले ई-मेल में प्रदान किए जाएंगे।
2. सदस्य मोबाइल/लैपटॉप/डेस्कटॉप के माध्यम से वीडियो सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक वक्तव्य।

मद सं. 3

पोत परिवहन मंत्रालय अपने पत्र सं.पीडी-26014/1/2004-सेतु, दि 17.9.2004 के तहत सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड स्थापन के लिए अपने अनुमोदन संप्रेषित करते हुए बताया है कि प्रारंभ में अध्यक्ष, तूतुकोरिन पत्तन प्राधिकरण, एससीएल का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक रहेगा तथा भाग लेनेवाले महा पत्तनों के अध्यक्ष व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सीएमडी पदेन आधार पर कंपनी का निदेशक होंगे ।

कंपनी की आर्टिकल्स ऑफ असोसियेशन की खंड 122 (सी) के अनुसार, अगर प्रमोटर पोर्ट/कंपनी नामित सेवानिवृत्त होंगे या इस्तीफा देंगे या हटाया जाएगा या किसी भी समय पद को रिक्त छोड़ेगा तो धारा 121 के तहत, संबंधित प्रमोटर पोर्ट / कंपनी ऐसे नामित निदेशक की सेवानिवृत्ति, इस्तीफा, हटाया जाना या अन्यथा पर और एक प्रतिस्थापन नामांकित निदेशक को नामित कर सकता है ।

तदनुसार, शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के पत्र संख्या ए-10/बीडी/एसईसी/सेतुसमंदरम, दिनांक.29.11.2024, के द्वारा सूचित करते हुए कि रियर अडमिरल जसविंदर सिंह (डीआईएन सं. 10104264) निदेशक, (लैनर व पेसंजर सर्विस) शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड,(एससीआई) को एससीएल के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है तथा जिसे दि.04.02.2025 को आयोजित निदेशक मंडल की 82वीं बैठक में रिकॉर्ड पर लिया गया।

उनका संक्षिप्त विवरण निम्न है:

विवरण	विस्तार	
जन्म तिथि	15.09.1968	
शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता	बिसिनस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर व एमएससी	
अनुभव	<p>रियर एडमिरल जसविंदर सिंह, वर्ष 2023 से शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) के लाइनर और यात्री सेवा व्यवसाय के प्रमुख पद पर हैं। उन्हें एससीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एससीआई भारत आईएफएससी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है। दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ, सहायक नौसेना प्रमुख (विदेश सहयोग), नौसेना मुख्यालय में प्रधान निदेशक (जहाजों के विनिर्देश तैयार करने और उनके उपकरण शामिल करने के लिए जिम्मेदार), विध्वंसक, कार्वेट और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान की कमान, भारतीय नौसेना में शीर्ष नेतृत्व की भूमिका में एडमिरल द्वारा संभाली गई कुछ प्रतिष्ठित नियुक्तियां हैं। रियर एडमिरल जसविंदर सिंह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर हैं और अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल और वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के पूर्व छात्र भी हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित नौसेना पदक से सम्मानित किया जा चुका है।</p>	
सेतुसमुद्रराम कॉरपोरेशन लिमिटेड में आयोजित प्रतिभूतियां	शून्य	
सेतुसमुद्रराम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अन्य निदेशकों के साथ संबंध	शून्य	
अन्य कंपनियों में निदेशक/सदस्यता	कंपनी का नाम	हित/संबंधित की प्रकृति
	शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	निदेशक
	7	निदेशक

		नामिनी एससीआई के शेयरहोल्डर (1 शेयर)
पिछला पारिश्रमिक	लागू नहीं	
वर्ष के दौरान भाग लिए बोर्ड की बैठकों की संख्या	कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में विवरण प्रदान किया गया ।	

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 की ओर से रियर अडमिरल जस्विंदर सिंह(डीआईएन सं. 10104264) के नामित निदेशक के प्रतिनिधि शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया द्वारा इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक कार्यालय संभाला जाएगा ।

उनके बैग्राउण्ड, अनुभव बहुमूल्य भागीदारी पर विचार करते हुए कंपनी के हित में तथा बोर्ड आफ डैरेक्टर्स द्वारा सामान्य संकल्प के रूप में सदस्यों के अनुमोदन सहित श्री सुसांत कुमार पुरोहित, आईआरएसईई को नियुक्त करने की सिफारिश की जाती है ।

रियर अडमिरल जस्विंदर सिंह(डीआईएन सं. 10104264) के अलावा कोई अन्य निदेशक संकल्प में अभिरुचि नहीं रखते ।

मद सं 4

पोत परिवहन मंत्रालय अपने पत्र सं.पीडी-26014/1/2004-सेतु, दि 17.9.2004 के तहत सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड स्थापन के लिए अपने अनुमोदन संप्रेषित करते हुए बताया है कि प्रारंभ में अध्यक्ष, त्तुकोरिन पत्तन प्राधिकरण, एससीएल का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक रहेगा तथा भाग लेनेवाले महा पत्तनों के अध्यक्ष व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सीएमडी पदेन आधार पर कंपनी का निदेशक होंगे ।

कंपनी की आर्टिकल्स ऑफ असोसियेशन की खंड 122 (सी) के अनुसार, अगर प्रमोटर पोर्ट/ कंपनी नामित सेवानिवृत्त होंगे या इस्तीफा देंगे या हटाया जाएगा या किसी भी समय पद को रिक्त छोड़ेगा तो धारा 121 के तहत, संबंधित प्रमोटर पोर्ट / कंपनी ऐसे नामित निदेशक की सेवानिवृत्ति, इस्तीफा, हटाया जाना या अन्यथा पर और एक प्रतिस्थापन नामांकित निदेशक को नामित कर सकता है ।

तदनुसार, दिनांक.30.10.2024, के पत्तन, पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र सं पीडी-26014/7/2004-सेतु (आंशिक फाइल)द्वारा सूचित करते हुए कि श्री रितुराज मिश्रा (डीआईएन नं 02636799), निदेशक, पत्तन, पोत परिवहन मंत्रालय को एससीएल के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में श्री गोपिनाथ नायक, उप सचिव (डीआईएन नं 10078138) जो अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए हैं को नामित किया गया है तथा जिसे दि.04.02.2025 को आयोजित निदेशक मंडल की 82वीं बैठक में रिकॉर्ड पर लिया गया।

उनका संक्षिप्त विवरण निम्न है:

विवरण	विस्तार	
जन्म तिथि	27.12.1982	
शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता	बी.टेक (मेकानिकल इंजीनियर) व एम.टेक (थर्मल, एनर्जी व एनविरोनमेंट इंजीनियरिंग) इंडियन इंन्स्ट्यूट आफ टेक्नालजी, करकपूर, भारत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स, ली कुआ यू स्कूल आफ पब्लिक पालिसी, राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी आफ सिंगपूर	
अनुभव	पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय रेलवे में डिजिटल ट्रान्स्फार्मेशन तथा एच आर मेनेजमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पोर्ट विकास, पालिसी फार्मलेशन में 15 साल से ज्यादा अनुभव	
सेतुसमुद्रराम कॉरपोरेशन लिमिटेड में आयोजित प्रतिभूतियां	शून्य	
सेतुसमुद्रराम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अन्य निदेशकों के साथ संबंध	लागू नहीं	
अन्य कंपनियों में निदेशक/सदस्यता	कंपनी का नाम	हित/संबंधित की प्रकृति
पिछले वेतन	लागू नहीं	
वर्ष के दौरान उपस्थित बोर्ड की बैठकों की संख्या	कार्पोरेट निकाय रिपोर्ट में विवरण प्रस्तुत है ।	

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 की ओर से श्री रितुराज मिश्रा (डीआईएन नं 02636799)प.पो.प व ज.मं के निदेशक को नामित निदेशक के प्रतिनिधि शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया द्वारा इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक कार्यालय संभाला जाएगा ।

उनके बैग्राउण्ड, अनुभव बहुमूल्य भागीदारी पर विचार करते हुए कंपनी के हित में तथा बोर्ड आफ डैरेक्टर्स द्वारा सामान्य संकल्प के रूप में सदस्यों के अनुमोदन सहित श्री रितुराज मिश्रा को नियुक्त करने की सिफारिश की जाती है ।

श्री रितुराज मिश्रा (डीआईएन सं. 02636799), नामित निदेशक के अलावा कोई अन्य निर्देशक संकल्प में अभिरुचि नहीं रखते ।

बोर्ड के आदेश के द्वारा

ह/-

(श्री सुनील पालीवाल, आईएसएस)

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

स्थान : चेन्नै

दिनांक: 14.08.2025

सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
सीआईएन: U75111TN2004GOI054824

पंजीकृत कार्यालय: भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, उथांडी, चेन्नई - 600 119

निदेशकों की रिपोर्ट

शेयरधारकों को,

वर्ष 2024-2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के खातों के लेखा परीक्षित विवरण के साथ दि.31 मार्च 2025 के लिए 20^{वां} वार्षिक रिपोर्ट को, आपके निदेशकों को प्रस्तुत करने में बहुत खुशी हो रही है।

1. वित्तीय विशिष्टताएं

(लाख में)

विवरण	2024-25	2023-24
अन्य कमाई	23.22	22.30
खर्च	(271.42)	(39.85)
पूर्व अवधि समायोजन	-----	-----
लाभ हानि इससे पहले कर तथा असाधारण आइटम	(248.20)	(17.55)
असाधारण वस्तु	-----	-----
कर खर्च	0.00	0.00
कर के बाद लाभ / हानि	(248.20)	(17.55)

2. वित्तीय प्रदर्शन

कंपनी ने अपना कारोबार शुरू नहीं किया है। इस बीच में, शिपिंग मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार, कानूनी राय प्राप्त करने के बाद, कंपनी के समापन के प्रस्ताव भेजने हेतु, पो.प.मं को, कंपनी ने दिनांक 28 जून 2019 के बोर्ड संकल्प संख्या 59/03 पारित किया है आगे, पोत परिवहन व जलभूतल परिवहन के माननीय राज्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 29.04.2021 को आयोजित बैठक में, कंपनी को बंद करने पर चर्चा करने के लिए तथा ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बकाया के निपटान की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। हालांकि, यह सूचित किया जाता है कि सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतिम रूप से बंद होने की सूचना मंत्रालय द्वारा आज तक नहीं दी गई है और कंपनी अपनी गतिविधियों को जारी रखे हुए है। इसलिये, इसे एजीएम में नहीं रखा गया है इसके अलावा समापन के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान सारणीबद्ध के रूप में के ऊपर बताए अनुसार रु.17.54 लाख हानि के विरुद्ध रु.248.20 लाख हानि का पंजीकृत किया है। यह हानि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभ व हानि लेखे को जीपीएस द्वारा बोया स्थिति तथा सिंक्रानिजेशन, मानिट्रिंग के लिए रु.226.69 लाख राशि के प्रभार के कारण हुई ।

3. लाभांश

चूंकि वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं हुआ है, आपके निदेशक रिपोर्टाधीन अवधि के लिए किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं करते हैं।

4. वित्तीय वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तारीख के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

एसएससीपी में कंपनी द्वारा पहले से किए गए ड्रेजिंग कार्यों के संबंध में, एमओएस द्वारा गठित एसएफए समिति द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए जाने की दर पर लंबे समय से लंबित विवाद रहा। समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि रु.136.72 करोड़ डीसीआई को देय है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष/(2021-22) के दौरान एससीएल के पास उपलब्ध निधि से रु.71.00 करोड़ को निपटाया और आपकी कंपनी ने डीसीआई को देय बकाया राशि के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है। निधि की अनुपलब्धता के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपके कंपनी द्वारा डीसीआई को कोई अदायगी नहीं की गई ।

5. ऋण, गारंटी का विवरण

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत कोई ऋण और गारंटी नहीं दी है ।

6. निवेश

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा कोई विशेष निवेश नहीं किया गया है।

7. सावधि जमा

आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई जमाराशियां स्वीकार नहीं किया है

8. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी ने उन न्यूनतम वित्तीय लेनदेन की स्वीकृति और रिकॉर्डिंग के लिए कंपनी द्वारा बनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं के सेट के माध्यम से अपने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं और इस प्रकार वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए, हर लेनदेन जीएम (एफ) द्वारा अनुमोदित है । हर बार लेनदेन सीएमडी द्वारा अनुमोदित है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण नीतियों की आवश्यकता के आधार पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।

9. निदेशक की जिम्मेदारी का बयान

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3))

वित्तीय विवरण प्रोद्घवन के आधार पर ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार तैयार किए जाते हैं। जीएएपी में कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के तहत निर्धारित अनिवार्य लेखा मानक शामिल हैं, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है, अधिनियम के प्रावधान मानकों को अपनाने में निर्धारित लेखा मानकों से कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं है।

निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

(ए) वार्षिक खातों की तैयारी में, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है

(बी) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य और उस वर्ष के लिए कंपनी का लाभ और हानि दिया जा सके।

(सी) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है

(डी) निदेशकों ने वार्षिक खातों को एक चालू प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किया है;

(ई) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; तथा

(एफ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं तथा

10. लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने मेसर्स को नियुक्त किया है। नारायण अय्यर एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, चेन्नई को वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

10.1 सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक, मेसर्स नारायण अय्यर एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, ने कंपनी के खातों पर विपरीत राय दिया है।

10.2 सांविधिक लेखापरीक्षक की टिप्पणियों का उत्तर

निदेशक का स्पष्टीकरण यू/एस 134(3.)) (एफ) कंपनी अधिनियम, 2013 के बारे में विपरीत राय या लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा किया गया अस्वीकरण:

क्रम. सं.	राय में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
1)	<p>राय</p> <p>हमने मेसर्स के वित्तीय विवरणों के साथ स्टैंडअलोन इंड एस का लेखा-जोखा किया है। सेतुसमुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") जिसमें 31 मार्च, 2025 को बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और नोट्स शामिल हैं। स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के लिए, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश और वर्ष के लिए अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।</p> <p>हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के प्रतिकूल राय के आधार पर चर्चा किए गए मामले के महत्व के कारण, उपरोक्त स्टैंडअलोन इंड-एस वित्तीय विवरण सही नहीं बताते हैं और कंपनी के मामलों की स्थिति के कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप निष्पक्ष दृष्टिकोण तथा अनुसूति जनजाति के रूप में दि.31मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह सहित इसका लाभ का अनुमोदन किया गया ।</p>	<p>कंपनी ने नोट 32 में दिनांक 18.06.2019 के पत्र के माध्यम से राज्य मंत्री के निर्देश अनुसार एससीएल के दिनांकित 28.06.2019 59वीं बोर्ड बैठक में कानूनी राय प्राप्त करने के बाद कंपनी को बंद करने के प्रस्ताव को पोत परिवहन मंत्रालय को भेजने के लिए मंजूरी दी है । तदुसार, एससीएल को बंद करने का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया था । दि. 28.08.2019 को एससीएल को बंद करने के लिए अपनाए जाने वाले कदमों के संबंध में एसजी की राय भी दि.13.12.2019 को भेजी गई थी। पोत परिवहन मंत्रालय के अनुमोदन के आधार पर समापन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी ।</p>

<p>2)</p>	<p>प्राप्त साक्ष्य और परिस्थितियाँ भौतिक अनिश्चितता के अस्तित्व को इंगित करती हैं जो कंपनी की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण संदेह पैदा करती हैं और इसलिए वित्तीय विवरण चालू चिंता के आधार पर तैयार नहीं किए जाएंगे।</p> <p>"एक प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों को चालू प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार नहीं करेगा यदि प्रबंधन रिपोर्टिंग अवधि के बाद यह निर्धारित करता है कि वह प्रतिष्ठान को समाप्त करना चाहता है या व्यापार बंद करना चाहता है, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।"</p> <p>आधार</p> <p>कंपनी ने 2004 से अपनी स्थापना के बाद से अब तक वाणिज्यिक संचालन शुरू नहीं किया है। के निर्देश पर पूंजी ड्रेजिंग कार्य को निलंबित कर दिया गया था। 2007 में विभिन्न मुकदमों के कारण सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाई। कंपनी ने वर्ष 2009 और उसके बाद से परिचालन गतिविधियों की समाप्ति के कारण टग, नेविगेशनल एड्स, लॉन्च, बॉय जैसी विभिन्न परिचालन संपत्तियां भी बेची हैं। राज्य मंत्री के दिनांक 18.06.2019 के पत्र के निर्देशों के अनुसार, एससीएल ने अपनी 59वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.06.2019 में कानूनी प्राप्त करने के बाद कंपनी को बंद करने के प्रस्ताव को पोत परिवहन मंत्रालय को भेजने की मंजूरी दी राय। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने 13.12.2019 को राय दी है कि कंपनी अधिनियम की धारा 272 के तहत निगम को बंद किया जा सकता है, 2013 अन्य शर्तों के अधीन। माननीय बंदरगाह, जहाजरानी और राज्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में करने के लिए जलमार्ग 29.04.2021 को कंपनी को बंद करने पर चर्चा करते हुए, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ</p>	<p>पारा सं.3 के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट की प्रतिकूल राय के आधार पर "एक प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों को चालू प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार नहीं करेगा यदि प्रबंधन रिपोर्टिंग अवधि के बाद यह निर्धारित करता है कि वह प्रतिष्ठान को समाप्त करना चाहता है या व्यापार बंद करना चाहता है, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।"</p> <p>हालांकि, प्रबंधन नहीं है इच्छुक इकाई को समाप्त करने या कंपनी को अभी तक बंद करने के लिए और इसके लिए प्रतीक्षा कर रहा है मंत्रालय का इस संबंध में स्वीकृति। इसलिए, वित्तीय विवरण चालू चिंता के आधार पर तैयार किया जाता है।</p>
-----------	--	---

	<p>इंडिया को देय राशि के निपटान की प्रक्रिया पर चर्चा की गई।</p> <p>पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 24.06.2021 के संचार के अनुसार ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बकाया राशि के संबंध में निर्णय लेने और 6 महीने के भीतर कंपनी को बंद करने के लिए गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक समयरेखा तैयार करने का अनुरोध किया है।</p>	
3)	<p>नोट संख्या 6, 7 और . के लिए पुष्टिकरण 16 स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के लिए नोटों के संबंध में विविध समायोजन, पूंजी अग्रिम, व्यापार प्राप्तियां, जमा और मेल मिलाप, कैपिटल ड्रेजिंग के लिए प्रावधान प्राप्त किया जाना है</p>	<p>व्यापार प्राप्तियों, जमा राशियों की "प्राप्ति" की पुष्टि विविध समायोजन, विविध प्राप्त्य और पूंजी तथा पार्टियों से अग्रिम आदि के लिए कंपनी प्रक्रिया में है किसी भी सामग्री की पूर्वाभास के अंतर नहीं है । शेष राशि बकाया और अंतर अगर कोई हो तो उसका सुलझा जाएगा और अगले लेखा वर्ष में सुधारा जाएगा।</p>
4)	<p>हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के आधार पर या मानदंडों के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपना आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित नहीं किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इस कारण से, हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे कि</p>	<p>कंपनी ने अपना कारोबार शुरू नहीं किया । संचालन और न्यूनतम लेनदेन मुख्य रूप से निवेश करना और ब्याज की कमाई निवेश आदि शामिल है । कंपनी ने अपनी आंतरिक वित्तीय स्थापना की नीतियों के सेट के माध्यम से नियंत्रण और प्रक्रियाएं किया । इसके बाद कंपनी द्वारा की स्वीकृति</p>

	<p>क्या कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण था और क्या ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। हमने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणिकाओं के लेखा परीक्षा में लागू लेखा परीक्षा टेस्ट के हद तक तथा उपरोक्त समीक्षाधीन डिस्कलैमर में प्रकृति, टाइमिंग पर विचार किया है।</p>	<p>और रिकॉर्डिंग वे न्यूनतम वित्तीय लेनदेन के लिए वित्तीय जानकारी दिया । हर एक लेन-देन द्वारा जीएम (एफ) अनुमोदित हैं । हर बार लेन-देन अनुमोदित हैं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की स्वीकृति हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदन मांगा जाएगा और अनुमोदन प्राप्त होते ही आंतरिक वित्तीय माँग और नियंत्रण नीतियां मांगी जाएगी ।</p>
--	---	---

11. सचिवालयी लेखा परीक्षा

मेसर्स जॉन ओ एसोसिएट्स, प्राक्टिसिंग कंपनी सचिवालय को, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आपकी कंपनी का सचिवालयी लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने बताया है कि, कंपनी के निदेशक मंडल का गठन स्वतंत्र निदेशकों और कंपनी सचिव की नियुक्ति को छोड़कर कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों और नामित निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के रूप में **अनुलग्नक-1** में संलग्न है ।

11.1 सचिवालयी लेखापरीक्षक की टिप्पणियों का उत्तर दें।

सेक्रेटेरियल ऑडिटर द्वारा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में की गई योग्यता या अस्वीकरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के तहत निदेशक का स्पष्टीकरण:

क्रम. सं.	सचिवालयी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में योग्यता	प्रबंधन का जवाब
1)	कंपनी के निदेशक मंडल का गठन नियुक्ति को छोड़कर कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों और नामित निदेशकों स्वतंत्र निदेशकों की, और कंपनी सचिव के उचित संतुलन के साथ किया गया है।	कंपनी पहले ही बना चुकी है एससीएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए मंत्रालय को प्रतिनिधित्व. तथापि, अब तक मंत्रालय ने एससीएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक की नियुक्त नहीं किया . कंपनी ने प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करके कंपनी सचिव नियुक्त करने का प्रयास किया है और कंपनी सचिवों के संस्थान से भी उम्मीदवारों का अनुरोध किया है । बहुप्रयत्नों के बावजूद भी कंपनी सचिव को नियुक्त करने में असमर्थ है

12. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (एमडीए) लागू नहीं है, क्योंकि एससीएल ने अभी तक व्यावसायिक प्रचालन शुरू नहीं किया है.

13. व्यापार जिम्मेदारी रिपोर्ट

व्यापार जिम्मेदारी रिपोर्ट (बीआरआर) लागू नहीं है, क्योंकि एससीएल ने अभी तक व्यावसायिक कार्यवाही शुरू नहीं किया है

14. न्यायालय या विनियम द्वारा पारित महत्वपूर्ण तथा मेटेरियल आदेश

भवष्य में कंपनी के प्रचालन तथा स्थिति को देखते हुए ट्रिबूनल या न्यायालय या रेगुलेटर्स द्वारा कोई महत्वपूर्ण तथा मेटेरियल आदेश जारी नहीं किया गया ।

15. वार्षिक विवरणी का अंश

अनुलग्नक – 2 में संलग्न है ।

16. संबंधित पक्ष के साथ अनुबंध या व्यवस्था U/S 188(1)

कोई ठेके या प्रबंध नहीं है ।

17. निदेशक की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी नीति

कृपया वित्त पर कॉरपोरेट गवर्नेंस और टिप्पणी के पैरा 2 को देखें।

18. कंपनी के मामलों की स्थिति

एक सरकारी संगठन होने के नाते, कंपनी का प्रबंधन अच्छी तरह से विनियमित प्रणालियों और प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है।

19. रिजर्व में स्थानांतरण

कंपनी द्वारा आरक्षण हेतु कोई रोशि के स्थानांतरण करने का प्रस्ताव नहीं है ।

20. जोखिम प्रबंधन नीति का विकास और कार्यान्वयन

निदेशक मंडल अपनी बैठक में परियोजना और वित्त से जुड़े जोखिमों का जायजा लेता है और उचित निर्णय लेता है।

21. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत कर्मचारियों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी का कोई भी कर्मचारी नहीं है । जैसा कि वर्ष 2004 से कंपनी के प्रचालन प्रारंभ होने की तारीख से कंपनी का प्रारंभन नहीं हुआ तथा विभिन्न विसंगति के कारण वर्ष 2007 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कैपिटल ड्रेजिंग कार्य निलंबित हुआ । इसलिए कर्मचारियों से संबंधित सभी लागू प्रावधान नहीं उठता ।

22. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और बहिर्गमन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसार, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित, आपके निदेशकों का कहना है कि कंपनी ने अभी तक अपना संचालन शुरू नहीं किया है, इसलिए प्रावधान लागू नहीं हैं। कंपनी के पास प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित कोई गतिविधि नहीं है और वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में कोई आय या व्यय नहीं हुआ।

23. उधारी:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसी भी सावधि ऋण का लाभ नहीं उठाया है।

24. वर्ष के दौरान जाइंट वेन्चर्स या एसोसियेट कंपनी या सब्सिडरी को सीस करनेवाले कंपनी का नाम

आपके कंपनी को कोई सब्सिडरी, जाइंट वेन्चर या एसोसिएट कंपनी नहीं होता ।

25. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने भारत के नागरिकों को सूचना प्रदान करने और कंपनी के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान एडालूंगा आवेदनएस आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त थे विधिवत संसाधित और उत्तर दिया गया।

26. कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

ए 31 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट मार्च, 2025 इस प्रकार संलग्न है **अनुलग्नक - 3.**

27. लागत रिकार्ड

कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार ने लागत रिकार्ड के अनुरक्षण हेतु उल्लेख नहीं किया ।

28. कार्यस्थल में महिला यौन उत्पीड़न के तहत खुलासा (रोकथाम, निषेध, निवारण) अधिनियम 2013 तथा महिला सशक्तिकरण

कर्मचारियों की संख्या – शून्य

29. विजिल ब्लोवर नीति

कर्मचारियों की संख्या – शून्य

30. मेटरनिटी बेनिफिट अधिनियम 1961

कर्मचारियों की संख्या – शून्य

कृते निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

जगह: चेन्नै

दिनांक: 30.07.2025

ह/-

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(डीआईएन नं.01300101)

जॉन ओ एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिवालय लेखापरीक्षक

डॉ जे. जॉन ओहिल्वी, एमकाम., एलएलबी, एफसीएस, पीएचडी
कंपनी सचिव

3/95ए, मेडिकल कॉलेज के पूर्वी तरफ
असरीपालन 629201
नागरकोयिल तमिलनाडु,
सेल: 098421-34891, 095788-08888
फोन- 04652-234289
ई-मेल: johnohilvi@yahoo.co.in
वेबसाइट: www.johnohilvi.com

फार्म नं. एमआर-3
सचिवालय लेखपरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए
[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (नियुक्ति और वेतन कार्मिक) नियम, 2014
का नियम सं.9 के आधार पर]

सेवा में
सदस्य,
सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लि.,
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पोर्ट मैनेजमेंट,
ईस्ट कोस्ट रोड, उत्तंडी,
चेन्नै - 600 119

मैंने सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड (सीआईएन: यू75111टीएन 2004 जी ओ आई054824)
(इसके बाद कंपनी समझा जाएगा) के द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छे कार्पोरेट
प्रक्रिया का पालन का सचिवालयीन लेखा परीक्षा की। कार्पोरेट आचरण/सांविधि अनुपालन के मूल्यांकन
हेतु तथा अपने विचार प्रकट करने हेतु औचित्यपूर्ण आधार प्रावधान के अनुरूप सचिवालय लेखापरीक्षा
चलाई गई ।

कंपनी द्वारा अनुरक्षित कंपनी का बुक, पेपर, मिन्ट बुक, फार्मस तथा फाइल किया गया रिटर्नस
तथा अन्य रिकार्ड का जांच और कंपनी, उनके अधिकारी, एजेंट्स तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा,
सचिवालय लेखापरीक्षा के दौरान दी गई सूचना के आधार पर, मैं अपने विचार पर यह रिपोर्ट करता हूँ
कि, 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लेखापरीक्षा अवधि को शामिल करते हुए, निम्न सूचित
सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया तथा कंपनी के पास उक्त बोर्ड-प्रक्रिया है तथा अनुपालन
यंत्र, इसके बाद की गई रिपोर्ट के अनुरूप है ।

मैं ने, प्रावधानों के अनुसार दि.31 मार्च 2025 के वित्तीय वर्षांत के लिए सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अनुरक्षण किए गए अन्य रिकार्ड व फाइल किए गए रिटर्नस तथा प्रपत्र, मिनट पुस्तिका, पैपेर्स, पुस्तिकाओं का परीक्षण किया ।

(i) कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) व नियम निम्न प्रकार से होगा ।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956/2013 के तहत बनाए गए कार्यविधियों तथा इस संबंध में फाइल किए गए रिटर्नस को पूरा किया ।

फिरभी, कंपनी द्वारा बोर्ड में स्वायत्त निदेशकों की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई ।

(ii) सुरक्षा ठेका (विनियम) अधिनियम 1956 ('एससीआरए') तथा नियम निम्न प्रकार से होगा ।

(iii) डेपासिटरीस अधिनियम 1996 तथा विनियम व उपनियम निम्न प्रकार से होगा ।

(iv) विदेशी एक्सेज प्रबंधन अधिनियम 1999 तथा नियम व विनियम निम्न प्रकार से होगा ।

(v) सुरक्षा व एक्सेज बोर्ड इण्डिया अधिनियम 1992 ('एस ई बी आई अधिनियम') के तहत उल्लिखित विनियम व मार्गदर्शन लागू नहीं है क्योंकि कंपनी सार्वजनिक कंपनी के गैर सूचिगत है ।

(ए) भारत के सुरक्षा व एक्सेज बोर्ड (शेयर्स के अनुवर्ती प्रापण व टेकओवर्स)विनियम 2011

(बी) भारत के सुरक्षा व एक्सेज बोर्ड (इनसैडर ट्रेडिंग के निषेध) विनियम 1992 ।

(सी) भारत के सुरक्षा व एक्सेज बोर्ड (पूँजी व डिस्क्लोशर मॉग) विनियम 2009 ।

(डी) भारत के सुरक्षा व एक्सेज बोर्ड (जारी व शेर ट्रान्सफर एजेंट्स के रजिस्ट्रार) विनियम 1993 ।

(vi) जैसा कि मुझे निम्नलिखित अन्य कानूनों के बारे में बताया गया है जो विशेष रूप से कंपनी के लिए लागू हैं ।

1. वेतन का भुगतान अधिनियम 1936
2. निम्नतम वेतन अधिनियम 1948
3. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
4. ठेका श्रम (विनियम तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970
5. बाल श्रम निषेध तथा नियममिकरण अधिनियम 1986
6. पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986
7. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम,1981

मैंने निम्नलिखित लागू खण्डों का अनुपालन को भी जाँच किया ।

(i) भारत कंपनी सचिव के संस्थापन द्वारा जारी सचिवालय मानक

(ii) लोक कंपनी के रूप में कंपनी गैर सूचित होने के कारण, टॉक विनियम द्वारा विवरित सूची करार लागू नहीं होगा ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित अवलोकन के आधार पर उपर उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम, मार्गदर्शन, मानक आदि को कंपनी द्वारा अनुपालित किया गया है ।

कंपनी द्वारा वाणिज्यिक प्रचलन चालू किया जाना है तथा परियोजनाओं को लेने की स्थिति में कंपनी तथा विभिन्न सरकारी की स्वीकृती की अपेक्षा है ।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि :-

कंपनी के न्यासी मंडल उक्त संख्या में बोर्ड में कंपनी सचिव, महिला निदेशक, स्वायत्त निदेशकों की नियुक्ति ने अलावा कार्यपालक निदेशक तथा गैर-कार्यपालक निदेशक और नामित निदेशकों के साथ गठित है तथा बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किया जाना है । समीक्षाधीन अवधि के दौरान न्यासी मंडल में घटित परिवर्तन समीक्षाधीन है तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में चलाया गया है । अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड के निदेशकों में परिवर्तन किया गया ।

बोर्ड बैठक की अनुसूची हेतु सभी निदेशकों को सूचित किया गया तथा कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी अग्रिम रूप में प्रेषित किया गया तथा कार्यसूची में बैठक से पहले आगे की सूचना प्राप्ति और स्पष्टीकरण हेतु और बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी हेतु प्रक्रिया मौजूद है ।

कार्यवृत्त के एक हिस्से के रूप में गैर सहमत के सदस्यों का विचार को भी ध्यान लेकर निर्णय लिया जाता है ।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि लागू विधि, नियम विनियम और मार्गदर्शन के साथ मानिटर और सुनिश्चित करने हेतु कंपनी के आकार और प्रचलन के अनुरूप कंपनी की प्रक्रिया और प्रणाली है ।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि, लेखपरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी कार्यकलाप पर मुख्य धारण के उपरोक्त विधि, नियम, विनियम, मार्गदर्शन आदि के अनुपालन में कोई विशेष घटना के लिए कार्रवाई नहीं है ।

ह/-

जे. जॉन ओहिल्वी

एफसीएस:4513 / सीपी:4010

यूडीआईएन: एफ004513एफ001693123

स्थान: नागरकोविल

दि: 28.07.2025

परिशिष्ट - I

सेवा में

सभी सदस्य

सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड

राष्ट्रीय इन्स्टिट्यूट आफ पोर्ट मनेजमेंट

ईस्ट कोस्ट रोड, उतंडी,

चेन्नै - 600119

इस पत्र के साथ समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट को पढ़ें ।

1. सचिवालय रिकार्ड का अनुरक्षण हमारे कंपनी के प्रबंधन का तर्कसंगत है । हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित इन सचिवालय रिकार्ड पर हम अपने विचारों का व्यक्त करें ।
2. हमने लेखा परीक्षा की प्रथाओं तथा प्रक्रियाओं पर अनुपालन किया क्योंकि हमने इन सचिवालय रिकार्ड के विषय की सही हेतु उचित आश्वासन प्राप्त किया है । आवलोकन का टेस्ट के आधार पर किया गया ताकि सचिवालय रिकार्ड में इन सही तथ्यों की दर्शाने की सुनिश्चितता कर सकें । हमें लेखा परीक्षा की प्रथाओं तथा प्रक्रियाओं पर विश्वास है । हमारे विचार हेतु उचित आधार पर अनुपालन किया है ।
3. वित्तीय रिकार्डों तथा कंपनी के लेखा पुस्तिकाओं के सहिष्णुता तथा उचित उपयुक्तता का अवलोकन नहीं किया है ।
4. जहाँ भी आवश्यकता होती है हमने कानूनी अनुपालन नियम व विनियम तथा घटक आदि के संबंध में प्रबंधन से प्रत्यावेदन प्राप्त किया है ।
5. कार्पोरेट तथा अन्य लागू कानून, नियम, विनियम स्ट्रैंडर्ड तथा कार्पोरेट के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है । टेस्ट आधार पर कार्यविधियों का अवलोकन पर हमारी परीक्षा सीमित है ।
6. सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट या तो कंपनी के भविष्य व्यवहार्यता पर आश्वासन न हो या प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों में प्रभावी नहीं किया हो।

स्थान : नागरकोयिल

दिनांक: 28/07/2025

ह/-

जे.जॉन आहिलवी

एफसीएस: 4513/सीपी: 4010

यूडीआईएन: एफ004513ई001939127

FORM NO. MGT-7

[Pursuant to sub-Section(1) of section 92 of the Companies Act, 2013 and sub-rule (1) of rule 11of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]



Annual Return

(other than OPCs and Small Companies)

Form language ☒ English ☐ Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

(i) * Corporate Identification Number (CIN) of the company

U75111TN2004GOI054824

Pre-fill

Global Location Number (GLN) of the company

* Permanent Account Number (PAN) of the company

AAICS8428D

(ii) (a) Name of the company

SETHUSAMUDRAM CORPORAT

(b) Registered office address

NATIONAL INSTITUTE OF PORTMANAGEMENT
EAST COAST ROAD UTHANDI
CHENNAI
Chennai
Tamil Nadu
600110

(c) *e-mail ID of the company

SC*****IL.COM

(d) *Telephone number with STD code

04*****51

(e) Website

(iii) Date of Incorporation

06/12/2004

(iv)	Type of the Company	Category of the Company	Sub-category of the Company
	Public Company	Company limited by shares	Union Government Company

(v) Whether company is having share capital

☒ Yes

☐ No

(vi) *Whether shares listed on recognized Stock Exchange(s)

☐ Yes

☒ No

(b) CIN of the Registrar and Transfer Agent

Pre-fill

Name of the Registrar and Transfer Agent

Registered office address of the Registrar and Transfer Agents

(vii) *Financial year From date (DD/MM/YYYY) To date (DD/MM/YYYY)

(viii) *Whether Annual general meeting (AGM) held ☒ Yes ☐ No

(a) If yes, date of AGM

(b) Due date of AGM

(c) Whether any extension for AGM granted ☒ Yes ☐ No

(d) If yes, provide the Service Request Number (SRN) of the application form filed for extension

Pre-fill

(e) Extended due date of AGM after grant of extension

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

*Number of business activities

S.No	Main Activity group code	Description of Main Activity group	Business Activity Code	Description of Business Activity	% of turnover of the company
1	H	Transport and storage	H3	Water transport	0

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES (INCLUDING JOINT VENTURES)

*No. of Companies for which information is to be given

Pre-fill All

S.No	Name of the company	CIN / FCRN	Holding/ Subsidiary/Associate/ Joint Venture	% of shares held
1				

IV. SHARE CAPITAL, DEBENTURES AND OTHER SECURITIES OF THE COMPANY

(i) *SHARE CAPITAL

(a) Equity share capital

Particulars	Authorised capital	Issued capital	Subscribed capital	Paid up capital
Total number of equity shares	1,000,000,000	745,000,000	745,000,000	745,000,000
Total amount of equity shares (in Rupees)	10,000,000,000	7,450,000,000	7,450,000,000	7,450,000,000

Number of classes

1

Class of Shares	Authorised capital	Issued capital	Subscribed capital	Paid up capital
Number of equity shares	1,000,000,000	745,000,000	745,000,000	745,000,000
Nominal value per share (in rupees)	10	10	10	10
Total amount of equity shares (in rupees)	10,000,000,000	7,450,000,000	7,450,000,000	7,450,000,000

(b) Preference share capital

Particulars	Authorised capital	Issued capital	Subscribed capital	Paid-up capital
Total number of preference shares	0	0	0	0
Total amount of preference shares (in rupees)	0	0	0	0

Number of classes

0

Class of shares	Authorised capital	Issued capital	Subscribed capital	Paid up capital
Number of preference shares				
Nominal value per share (in rupees)				
Total amount of preference shares (in rupees)				

(c) Unclassified share capital

Particulars	Authorised Capital
Total amount of unclassified shares	0

(d) Break-up of paid-up share capital

Class of shares	Number of shares			Total nominal amount	Total Paid-up amount	Total premium
Equity shares	Physical	DEMAT	Total			
At the beginning of the year	745,000,000	0	745000000	7,450,000,000	7,450,000,000	

Increase during the year	0	0	0	0	0	0
i. Pubic Issues	0	0	0	0	0	0
ii. Rights issue	0	0	0	0	0	0
iii. Bonus issue	0	0	0	0	0	0
iv. Private Placement/ Preferential allotment	0	0	0	0	0	0
v. ESOPs	0	0	0	0	0	0
vi. Sweat equity shares allotted	0	0	0	0	0	0
vii. Conversion of Preference share	0	0	0	0	0	0
viii. Conversion of Debentures	0	0	0	0	0	0
ix. GDRs/ADRs	0	0	0	0	0	0
x. Others, specify <div></div>						
Decrease during the year	0	0	0	0	0	0
i. Buy-back of shares	0	0	0	0	0	0
ii. Shares forfeited	0	0	0	0	0	0
iii. Reduction of share capital	0	0	0	0	0	0
iv. Others, specify <div></div>						
At the end of the year	745,000,000	0	745000000	7,450,000,0	7,450,000,	
Preference shares						
At the beginning of the year	0	0	0	0	0	
Increase during the year	0	0	0	0	0	0
i. Issues of shares	0	0	0	0	0	0
ii. Re-issue of forfeited shares	0	0	0	0	0	0
iii. Others, specify <div></div>						
Decrease during the year	0	0	0	0	0	0
i. Redemption of shares	0	0	0	0	0	0

ii. Shares forfeited	0	0	0	0	0	0
iii. Reduction of share capital	0	0	0	0	0	0
iv. Others, specify						
At the end of the year	0	0	0	0	0	

ISIN of the equity shares of the company

(ii) Details of stock split/consolidation during the year (for each class of shares)

0

Class of shares		(i)	(ii)	(iii)
Before split / Consolidation	Number of shares			
	Face value per share			
After split / Consolidation	Number of shares			
	Face value per share			

(iii) Details of shares/Debentures Transfers since closure date of last financial year (or in the case of the first return at any time since the incorporation of the company) *

☒ Nil

[Details being provided in a CD/Digital Media]

☐

Yes

☐

No

☐

Not Applicable

Separate sheet attached for details of transfers

☐

Yes

☐

No

Note: In case list of transfer exceeds 10, option for submission as a separate sheet attachment or submission in a CD/Digital Media may be shown.

Date of the previous annual general meeting		<input type="text"/>	
Date of registration of transfer (Date Month Year)		<input type="text"/>	
Type of transfer	<input type="text"/>	1 - Equity, 2- Preference Shares, 3 - Debentures, 4 - Stock	
Number of Shares/ Debentures/ Units Transferred	<input type="text"/>	Amount per Share/ Debenture/Unit (in Rs.)	<input type="text"/>

Ledger Folio of Transferor			
Transferor's Name			
	Surname	middle name	first name
Ledger Folio of Transferee			
Transferee's Name			
	Surname	middle name	first name

Date of registration of transfer (Date Month Year)			
Type of transfer		1 - Equity, 2- Preference Shares,3 - Debentures, 4 - Stock	
Number of Shares/ Debentures/ Units Transferred		Amount per Share/ Debenture/Unit (in Rs.)	
Ledger Folio of Transferor			
Transferor's Name			
	Surname	middle name	first name
Ledger Folio of Transferee			
Transferee's Name			
	Surname	middle name	first name

(iv) *Debentures (Outstanding as at the end of financial year)

Particulars	Number of units	Nominal value per unit	Total value
Non-convertible debentures	0	0	0
Partly convertible debentures	0	0	0
Fully convertible debentures	0	31	0

Particulars	Number of units	Nominal value per unit	Total value
Total			0

Details of debentures

Class of debentures	Outstanding as at the beginning of the year	Increase during the year	Decrease during the year	Outstanding as at the end of the year
Non-convertible debentures	0	0	0	0
Partly convertible debentures	0	0	0	0
Fully convertible debentures	0	0	0	0

(v) Securities (other than shares and debentures)

0

Type of Securities	Number of Securities	Nominal Value of each Unit	Total Nominal Value	Paid up Value of each Unit	Total Paid up Value
Total					

V. *Turnover and net worth of the company (as defined in the Companies Act, 2013)

(i) Turnover

0

(ii) Net worth of the Company

8,151,050,000

VI. (a) *SHARE HOLDING PATTERN - Promoters

S. No.	Category	Equity		Preference	
		Number of shares	Percentage	Number of shares	Percentage
1.	Individual/Hindu Undivided Family				
	(i) Indian	0	0	0	
	(ii) Non-resident Indian (NRI)	0	0	0	
	(iii) Foreign national (other than NRI)	0	0	0	
2.	Government				
	(i) Central Government	495,000,000	66.44	0	
	(ii) State Government	0	0	0	
	(iii) Government companies	0	0	0	

3.	Insurance companies	0	0	0	
4.	Banks	0	0	0	
5.	Financial institutions	0	0	0	
6.	Foreign institutional investors	0	0	0	
7.	Mutual funds	0	0	0	
8.	Venture capital	0	0	0	
9.	Body corporate (not mentioned above)	250,000,000	33.56	0	
10.	Others	0	0	0	
	Total	745,000,000	100	0	0

Total number of shareholders (promoters)

8

(b) *SHARE HOLDING PATTERN - Public/Other than promoters

S. No.	Category	Equity		Preference	
		Number of shares	Percentage	Number of shares	Percentage
1.	Individual/Hindu Undivided Family				
	(i) Indian	0	0	0	
	(ii) Non-resident Indian (NRI)	0	0	0	
	(iii) Foreign national (other than NRI)	0	0	0	
2.	Government				
	(i) Central Government	0	0	0	
	(ii) State Government	0	0	0	
	(iii) Government companies	0	0	0	
3.	Insurance companies	0	0	0	
4.	Banks	0	0	0	
5.	Financial institutions	0	0	0	
6.	Foreign institutional investors	0	0	0	
7.	Mutual funds	0	0	0	

8.	Venture capital	0	0	0	
9.	Body corporate (not mentioned above)	0	0	0	
10.	Others	0	0	0	
	Total	0	0	0	0

Total number of shareholders (other than promoters)

0

**Total number of shareholders (Promoters+Public/
Other than promoters)**

8

VII. *NUMBER OF PROMOTERS, MEMBERS, DEBENTURE HOLDERS
(Details, Promoters, Members (other than promoters), Debenture holders)

Details	At the beginning of the year	At the end of the year
Promoters	8	8
Members (other than promoters)	0	0
Debenture holders	0	0

VIII. DETAILS OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

(A) *Composition of Board of Directors

Category	Number of directors at the beginning of the year		Number of directors at the end of the year		Percentage of shares held by directors as at the end of year	
	Executive	Non-executive	Executive	Non-executive	Executive	Non-executive
A. Promoter	1	4	1	0	0	0
B. Non-Promoter	0	0	0	0	0	0
(i) Non-Independent	0	0	0	0	0	0
(ii) Independent	0	0	0	0	0	0
C. Nominee Directors representing	0	2	0	7	0	0
(i) Banks & FIs	0	0	0	0	0	0
(ii) Investing institutions	0	0	0	0	0	0
(iii) Government	0	2	0	7	0	0
(iv) Small share holders	0	0	34	0	0	0

(v) Others	0	0	0	0	0	0
Total	1	6	1	7	0	0

Number of Directors and Key managerial personnel (who is not director) as on the financial year end date

8

(B) (i) *Details of directors and Key managerial personnel as on the closure of financial year

Name	DIN/PAN	Designation	Number of equity share(s) held	Date of cessation (after closure of financial year : If any)
HARANADHLAKSHMI	07295378	Nominee director	0	
SUNIL PALIWAL	01310101	Managing Director	0	
PRADEEPKUMARRO	10395264	Nominee director	0	
JESUDASANPETERIR	08839241	Nominee director	0	
DURGESHKUMARDU	09207436	Nominee director	0	
S.DIVAKAR	09675405	Nominee director	0	24/06/2024
GOPINATH NAYAK	10078138	Nominee director	0	30/10/2024
BIMAL KUMAR JHA	07059268	Nominee director	0	24/06/2024

(ii) Particulars of change in director(s) and Key managerial personnel during the year

3

Name	DIN/PAN	Designation at the beginning / during the financial year	Date of appointment/ change in designation/ cessation	Nature of change (Appointment/ Change in designation/ Cessation)
THANALAPATHY KI	03104487	Director	30/08/2023	Cessation
RAMA MOHANA RA	07620951	Nominee director	30/08/2023	Cessation
PARMESHWAR BAI	09128834	Nominee director	19/12/2023	Cessation

IX. MEETINGS OF MEMBERS/CLASS OF MEMBERS/BOARD/COMMITTEES OF THE BOARD OF DIRECTORS

A. MEMBERS/CLASS /REQUISITIONED/NCLT/COURT CONVENED MEETINGS

Number of meetings held

1

Type of meeting	Date of meeting	Total Number of Members entitled to attend meeting	Attendance	
			Number of members attended	% of total shareholding
ANNUAL GENERAL MEETI	29/12/2023	35 7	6	86

B. BOARD MEETINGS

*Number of meetings held

4

S. No.	Date of meeting	Total Number of directors associated as on the date of meeting	Attendance	
			Number of directors attended	% of attendance
1	02/05/2023	5	2	40
2	30/08/2023	5	4	80
3	19/12/2023	5	4	80
4	28/03/2024	5	4	80

C. COMMITTEE MEETINGS

Number of meetings held

1

S. No.	Type of meeting	Date of meeting	Total Number of Members as on the date of the meeting	Attendance	
				Number of members attended	% of attendance
1	AUDIT COMM	30/08/2023	3	3	100

D. *ATTENDANCE OF DIRECTORS

S. No.	Name of the director	Board Meetings			Committee Meetings			Whether attended AGM held on
		Number of Meetings which director was entitled to attend	Number of Meetings attended	% of attendance	Number of Meetings which director was entitled to attend	Number of Meetings attended	% of attendance	23/12/2024
								(Y/N/NA)
1	HARANADHL	4	3	75	1	1	100	Yes
2	SUNIL PALIW	4	4	100	1	1	100	Yes
3	PRADEEPKU	2	2	100	0	0	0	Yes
4	JESUDASANF	3	3	100	0	0	0	Yes
5	DURGESHKU	3	2	66.67	0	0	0	Yes
6	S.DIVAKAR	4	4	100	1	1	100	Yes
7	GOPINATH N.	4	4	100	0	0	0	No
8	BIMAL KUMA	3	1	33.33	0	0	0	No

X. *REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL☒ Nil

Number of Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager whose remuneration details to be entered

S. No.	Name	Designation	Gross Salary	Commission	Stock Option/ Sweat equity	Others	Total Amount
1							0
	Total						

Number of CEO, CFO and Company secretary whose remuneration details to be entered

S. No.	Name	Designation	Gross Salary	Commission	Stock Option/ Sweat equity	Others	Total Amount
1							0
	Total						

Number of other directors whose remuneration details to be entered

S. No.	Name	Designation	Gross Salary	Commission	Stock Option/ Sweat equity	Others	Total Amount
1							0
	Total						

XI. MATTERS RELATED TO CERTIFICATION OF COMPLIANCES AND DISCLOSURES

* A. Whether the company has made compliances and disclosures in respect of applicable provisions of the Companies Act, 2013 during the year ☐ Yes ☒ No

B. If No, give reasons/observations

As per Secretarial Auditor Report

XII. PENALTY AND PUNISHMENT - DETAILS THEREOF(A) DETAILS OF PENALTIES / PUNISHMENT IMPOSED ON COMPANY/DIRECTORS /OFFICERS ☒ Nil

Name of the company/ directors/ officers	Name of the court/ concerned Authority	Date of Order	Name of the Act and section under which penalised / punished	Details of penalty/ punishment	Details of appeal (if any) including present status

(B) DETAILS OF COMPOUNDING OF OFFENCES ☒ Nil

Name of the company/ directors/ officers	Name of the court/ concerned Authority	Date of Order	Name of the Act and section under which offence committed	Particulars of offence	Amount of compounding (in Rupees)

XIII. Whether complete list of shareholders, debenture holders has been enclosed as an attachment

☒ Yes ☐ No

XIV. COMPLIANCE OF SUB-SECTION (2) OF SECTION 92, IN CASE OF LISTED COMPANIES

In case of a listed company or a company having paid up share capital of Ten Crore rupees or more or turnover of Fifty Crore rupees or more, details of company secretary in whole time practice certifying the annual return in Form MGT-8.

Name

J.JOHN OHILVI

Whether associate or fellow

☐ Associate ☒ Fellow

Certificate of practice number

4010

I/We certify that:

- (a) The return states the facts, as they stood on the date of the closure of the financial year aforesaid correctly and adequately.
(b) Unless otherwise expressly stated to the contrary elsewhere in this Return, the Company has complied with all the provisions of the Act during the financial year.

Declaration

I am Authorised by the Board of Directors of the company vide resolution no. ... **69/3** dated **16/03/2022**

(DD/MM/YYYY) to sign this form and declare that all the requirements of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that:

- Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.
- All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

Note: Attention is also drawn to the provisions of Section 447, section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for fraud, punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.

To be digitally signed by

Director

Sunil Paliwal
Digitally signed by Sunil Paliwal
Date: 2025.01.28
17:12:29 +05'30'

DIN of the director

0*3*0*0*

To be digitally signed by

JOHN OHILVI
Digitally signed by JOHN OHILVI
Date: 2025.01.29
10:26:39 +05'30'

- ☐ Company Secretary
- ☒ Company secretary in practice

Membership number

4*1*

Certificate of practice number

4*1*

Attachments

1. List of share holders, debenture holders
2. Approval letter for extension of AGM;
3. Copy of MGT-8;
4. Optional Attachement(s), if any

Attach

Attach

Attach

Attach

List of attachments

Share Holders List_Sethusamudram Corpc

Approval letter for extention of AGM_Sethu

FORM MGT-8_SETHUSAMUDRAM_2024

Remove attachment

Modify

Check Form

Prescrutiny

Submit

This eForm has been taken on file maintained by the Registrar of Companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

1. कंपनी का दर्शन

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश जारी किए थे। आपकी कंपनी का निदेशक मंडल कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन करता है जिसमें बोर्ड, कर्मचारी, शेयरधारक और अन्य हितधारक शामिल होते हैं। कंपनी के प्रबंधन और कर्मचारी पारदर्शिता, अखंडता, ईमानदारी और जवाबदेही के मूल मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

2. निदेशक मंडल

2.1 दि. 31.03.2025 को निदेशक मंडल की संरचना और श्रेणी निम्नप्रकार से है ।

क्रमांक	निदेशक का नाम	पोर्ट/कंपनी का प्रतिनिधित्व करना
01	श्री. सुनील पालीवाल, आईएएस (डीआईएन नं 01310101)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
02	श्रीमती जे.पी.आइरिनसिंदिया,आईएएस (डीआईएन नं 08839241)	कामराजर पोर्ट लिमिटेड को प्रतिनिधित्व करने वाले नामित निदेशक
03	श्री सुशांत कुमार पुरोहित, आईआरएसईई (डीआईएन नं 09725013)	वी.ओ.चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण को प्रतिनिधित्व करने वाले नामित निदेशक
04	श्री. पोलमराजू लक्ष्मी हरानाथ, आईआरटीएस (डीआईएन नं 07295378)	पारादीप पत्तन प्राधिकरण को प्रतिनिधित्व करने वाले नामित निदेशक
05	श्री दुर्गेश कुमार दुबे, आईआरटीएस (डीआईएन नं 09207436)	विशाखपटनम पत्तन प्राधिकरण को प्रतिनिधित्व करने वाले नामित निदेशक

		व ट्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
06	श्री. प्रदीप कुमार राय (डीआईएन नं 09128834)	पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय को प्रतिनिधित्व करने वाले नामित निदेशक
07	श्री रितुराज मिश्रा (डीआईएन नं 02636799)	पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय को प्रतिनिधित्व करने वाले नामित निदेशक
08	रियर अडमिरल जस्विंर सिंह (डीआईएन नं 10104264)	शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को प्रतिनिधित्व करनेवाले नामित निदेशक

कंपनी के बोर्ड आफ डैरेक्टर्स में भारत सरकार को प्रतिनिधित्व करनेवाले पोत परिवहन के नामिनीस तथा पदेन सदस्य के आधार पर सीपीएसयू में शामिल होनेवाले निदेशक/ अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक तथा महा पत्तनों में शामिल होनेवाले अध्यक्ष / उपाध्यक्ष आदि शामिल होते हैं ।

हमारी कंपनी के अनुच्छेद 122 (बी) तथा 125 ए के अनुसार, वीओसीपीटी और एससीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक गैर-घूर्णी निदेशक होंगे।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक को कंपनी के सामान्य बैठक से सेवानिवृत्ति नहीं होगी ।

हमारे कंपनी के आर्टिक 162 के अनुसार, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक या प्रबंध निदेशक को रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त करना होगा ताकि वे प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करें

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा प्रबंध निदेशक को, कानून के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा ऐसी स्वीकृति के अनुसार, ऐसे वेतन को (या तो वेतन के रूप में या कमीशन या लाभ में सहयोग या आंशिक रूप में ऐ तरह से या आंशिक रूप में दूसरी तरह से) प्राप्त हो, जो सामान्य रूप में कंपनी के रूप में निर्णय लिया जाए ।

2.2 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड आफ निदेशक का वर्ग व कंपोसिशन तथा अद्यतन रिपोर्ट

क्रमांक	निदेशक का नाम	वर्ग	नियुक्ति की तारीख	सेशन की तारीख
01	श्री.सुनीलपालीवाल, आईएएस (डीआईएन नं 01310101)	अध्यक्ष-सह- प्रबंध निदेशक	23.10.2019	जारी
02	श्री पोलमराजू लक्ष्मी हरानाथ, आईआरटीएस (डीआईएन नं 07295378)	नामित निदेशक	13.12.2021	जारी
03	श्रीमती जे.पी.आइरिनसिंदिया,आईएएस (डीआईएन नं 08839241)	नामित निदेशक	30.08.2023	जारी
04	श्री दुर्गेश कुमार दुबे आई आर टी एस (डीआईएन नं 09207436)	नामित निदेशक	30.08.2023	जारी
05	श्री सुशांत कुमार पुरोहित आईआरएसईई (डीआईएन नं 09725013)	अपर निदेश	24.06.2024	जारी

06	श्री प्रदीप कुमार राय (डीआईएन नं 10395264)	नामित निदेशक	19.12.2023	जारी
07	श्री रितुराज मिश्रा (डीआईएन नं 02636799)	नामित निदेशक	04.02.2025	जारी
08	रियर अडमिरल जसविंदर सिंह (डीआईएन नं 10104264)	अपर निदेशक	04.02.2025	जारी
09	श्री बिमल कुमार झा (डीआईएन नं 07059268)	नामित निदेशक	30.08.2023	जारी
10	कप्तान एस.दिवाकर (डीआईएन नं 09675405)	नामित निदेशक	28.10.2022	24.06.2024
11	श्री गोपीनाथ नायक (डीआईएन नं 10078138)	नामित निदेशक	17.03.2023	31.10.2024

श्री दुर्गेश कुमार दुबे, आईआरटीएस (डीआईएन नं 09207436) को विशाखपटनम पत्तन प्राधिकरण के साथ साथ डीसीआई को भी प्रतिनिधि अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया ।

आपके निदेशको ने आपके कंपनी के बोर्ड में सेवा किए गए प.पो.प व ज.मं के प्रतिनिधि पूर्व उप सचिव श्री स्माराजीत कुमार बिस्वास, डीसीआई के प्रतिनिधि पर्व प्र.नि व सीईओ श्री परमेस्वर बाली, विशाखपटनम पत्तन प्राधिकरण के प्रतिनिधि पूर्व अध्यक्ष श्री के.रामा

मोहण राव, वी.ओ.चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण के प्रतिनिधि पूर्व अध्यक्ष श्री टी.के.रामचंद्रन से प्राप्त मार्गदर्शन और बहुमूल्य सेवाओं प्रशंसा को रिकार्ड करना चाहा तथा श्री गोपिनाथ नायक, पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय के रेस्टवाइल उप सचिव को आपके कंपनी के बोर्ड पर नियुक्त किया गया ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी के पास आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। जैसाकि आपके कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है तो स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय द्वारा नियुक्त की जानी है। आपके कंपनी ने इस मामले को पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय के साथ ले लिया है ।

2.3 वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति (01.04.2024 से 31.03.2025) पर 24.06.2024 22.10.2024, 30.10.2024, तथा 04.02.2025 और आखिरी एजीएम में 23.12.2024 निम्न प्रकार से है ।

निदेशक का नाम	निदेशकों का पदनाम	वि.वर्ष 2024-25 में संबंधित निदेशक की अवधि के दौरान संपन्न बोर्ड बैठक की संख्या		अंतिम एजीएम की उपस्थिति
		आयो जित	भाग लिया	
श्री. सुनील पालीवाल, आईएसएस (डीआईएन नं 01310101)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	4	4	हां
श्री पोलमराजू लक्ष्मी हरानाथ, आईआरटीएस (डीआईएन नं 07295378)	निर्देशक गैर-कार्यकारी	4	2	नहीं

श्रीमती जे.पी.आइरिनसिंदिया,आईएएस (डीआईएन नं 08839241)	निर्देशक गैर-कार्यकारी	4	4	नहीं
श्री दुर्गेश कुमार दुबे आई आर टी एस (डीआईएन नं 09207436)	निर्देशक गैर-कार्यकारी	4	4	नहीं
श्री सुशांत कुमार पुरोहित आईआरएसईई (डीआईएन नं 09725013)	निर्देशक गैर-कार्यकारी	4	1	हां
श्री प्रदीप कुमार राय (डीआईएन नं 10395264)	नामित निदेशक	4	4	नहीं
श्री रितुराज मिश्रा (डीआईएन नं 02636799)	नामित निदेशक	1	1	लागू नहीं
रियर अडमिरल जसविंदर सिंह (डीआईएन नं 10104264)	अपर निदेशक	1	1	लागू नहीं
श्री गोपीनाथ नायक (डीआईएन नं 10078138)	निर्देशक गैर-कार्यकारी	4	4	नहीं

3. लेखापरीक्षा समिति

3.1 दि.31.03.2025 को कंपनी के लेखा परीक्षा समिति में निम्न लिखित सदस्य शामिल होंगे ।

निदेशकों का नाम	स्थिति
श्री पोलमराजू लक्ष्मी हरानाथ, आईआरटीएस	अध्यक्ष

(डीआईएन नं 07295378)	
श्री. सुनील पालीवाल, आईएएस (डीआईएन नंबर: 01310101)	सदस्य
श्रीमती जे.पी.आइरिनसिंदिया,आईएएस (डीआईएन नं 08839241)	सदस्य

3.2 वर्ष के दौरान बैठक तथा उपस्थिति

वर्ष 2024-25 के दौरान दि.30.10.2024 को एक लेखा परीक्षा समिति आयोजित की गई तथा सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार से है ।

निदेशकों का नाम	स्थिति	अवधि के दौरान बैठकों की संख्या	सदस्यों की उपस्थिति	
			बैठकों की संख्या	प्रतिशतता (%)
श्री पोलमराजू लक्ष्मी हरानाथ, आईआरटीएस (डीआईएन नं 07295378)	अध्यक्ष	01	01	100
श्री. सुनील पालीवाल, आईएएस (डीआईएन नंबर: 01310101)	सदस्य	01	01	100
श्रीमती जे.पी.आइरिनसिंदिया,आईएएस (डीआईएन नं 08839241)	सदस्य	01	01	100

4. सामान्य निकाय बैठक

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित एजीएम का स्थान, तिथि और समय निम्नानुसार है:

वर्ष	स्थान	दिनांक	समय	पारित विशेष संकल्प
2023-24	चेन्नै पत्तन प्राधिकरण का बोर्ड रूम, चेन्नई - 600 001	23.12.2024	03:00	शून्य
2022-23	चेन्नै पत्तन प्राधिकरण का बोर्ड रूम, चेन्नई - 600 001	29.12.2023	03:00	शून्य
2021-22	चेन्नै पत्तन प्राधिकरण का बोर्ड रूम, चेन्नई - 600 001	30.12.2022	04.00	शून्य

* एजीएम दि.30.12.2022 को स्थगित की गई तथा दि.27.01.2023 को शाम को 3.30 को जेकेआर रिसार्ट रामेश्वरम में स्थगित की गई ।

5. प्रकटीकरण

- i) वार्षिक रिपोर्ट में दि.31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बन्नेवाले नोट्स में संबंधित पार्टी लेनदेन नोट संख्या 25 में निर्धारित किए गए हैं ।
- ii) वैधानिक प्राधिकारियों ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी अधिनियम/नियम के तहत कंपनी पर कोई प्रतिबंध या जुर्माना नहीं लगाया है ।
- iii) आपकी कंपनी के पास हासिल ब्लाअर नीति है और कंपनी को को समय समय पर लेखा परीक्षा समिति के लिए कोई कार्मिक नहीं है ।
- iv) केंद्र सरकार के राष्ट्रपति के निर्देशों और आदेशों तक पहुँच से वंचित कर दिया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग और अभ्य संख्यकों आदि के पक्ष में पदों/लाभों का आरक्षण आपकी कंपनी पर लागू नहीं होता क्योंकि आपकी कंपनी में कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है ।
- v) व्यय की कोई भी मद खातों की पुस्तकों में डेबिट नहीं की गई थी जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं थी । इसके अलावा, बोर्ड के लिए कोई खर्च नहीं किया गया
- vi) समीक्षाधीन वर्ष और पिछले वर्ष के लिए प्रशासनिक और कार्यालय व्यय और

वित्तीय व्यय का विवरण वार्षिक खातों में उपलब्ध है।

- vii) कंपनी ने कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं को संकलित किया है कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई निदेशानिर्देशों के अनुपालन पर प्रैक्टाइसिंग कंपनी सचिव का प्रमाण पत्र **अनुलग्नक -4** के रूप में संलग्न है जो स्व.व्याख्यात्मक है ।

6. औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान कर्मचारियों की संख्या शून्य है ।

7.पावती

आपके निदेशक जहाजरानी मंत्रालय, भारत सरकार, भाग लेने वाले बंदरगाहों, भारतीय नौवहन निगम, ट्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय बंदरगाह संघ आदि के अधिकारियों से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं, आपके निदेशक भी इस अवसर पर बैंकरों और कंपनी के सभी कर्मचारियों के समर्थन और सहयोग का धन्यवाद करें।

कृते सेतुसमुंदरम कार्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड आफ
डाइरेक्टर्स की ओर से

ह/-

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

(डीआईएन नं 01310101)

जगह: चेन्नै

दिनांक: 30.07.2025

कॉर्पोरेट प्रशासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में
शेयरधारक
सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(सीआईएन: यू75111टीएन2004जीओआई054824)
पोर्ट प्रबंधन के राष्ट्रीय इन्स्टिट्यूट,
ईस्ट कोस्ट रोड, उत्तंडी,
चेन्नै, तमिलनाडु, भारत- 600119

हमने दि. 31 मार्च 2025 के वर्षांत कॉर्पोरेट प्रशासन सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीआईएन: यू75111टीएन2004जीओआई054824) की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।, जैसा कि सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा संदर्भ संख्या 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई 2010 के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार है।

कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यान्वयन की प्रक्रिया की समीक्षा तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कॉर्पोरेशन प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है। दिशानिर्देश की शर्त 3.1.4 में परिकल्पित स्वतंत्र निदेशक की पुनर्नियुक्ति की शर्तों को छोड़कर विभाग सार्वजनिक उद्यम (डीपीई) संदर्भ संख्या 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई 2010 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार हो ।

हम कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की आगे व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

जे.जॉन ओइल VI

एफसीएस:4513/सी.पी.नं 4010

(यूडीआईएन: एफ004513जी000878155)

स्थान : नागरकोइल

दिनांक : 28.07.2025

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, चेन्नै

नं.पीडीसीए/चेन्नै/सी ए -II/4-126/2025-26/342

दि. 12.08.2025

सेवा में

प्रबंध निदेशक
सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड
एंकर गेट भवन,
पहली मंजिल, राजाजी सालै
चेन्नै - 600 001

महोदय

विषय : 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय
तालिकाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अधीन भारत के
नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक का टिप्पणी

मैं 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय
तालिकाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अधीन भारत के नियंत्रक व महा
लेखा परीक्षक का टिप्पणी प्रेषित करता हूँ ।

मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट की पाँच प्रतियों को, इस कार्यालय में अग्रेषित करने हेतु प्रबंध करें ।

इस पत्र की पावती दें ।

भवदीय,

ह/-

(एस.वेल्लियंगिरी)

वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के

प्रधान निदेशक

संलग्न : लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सेतुसमदरम कार्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नै के वित्तीय तालिकाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अधीन भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक का टिप्पणी

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदीकरण रूपरेखा के अनुरूप दि.

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सेतुसमदरम कार्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय तालिकाओं की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है । अधिनियम की धारा 143(10)की धारा के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के साथ अनुरूप में स्वतंत्र लेखा परीक्षण पर आधारित करके अधिनियम की धारा 143 के वित्तीय विवरणिकाओं पर विचार प्रकट करने हेतु अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक व लेखा परीक्षक द्वारा सांघिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गई है। उनकी दि.01.08.2025 का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के अधीन इन्हें किया जाना उल्लेख किया है।

मैं, भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत 31, मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय तालिकाओं की पूरक लेखापरीक्षा का आयोजन न करने का निर्णय लिया है ।

कृते भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक की आरे से

ह/-

(एस.वेल्लियंगिरी)

वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान

निदेशक

स्थान :चेन्नै

दिनांक :12.08.2025

स्वायत्त लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्य, मेसर्स सेतुसमुंदरम कार्पोरेशन लिमिटेड

स्टैंडअलोन भारतीय लष्ठा मानक (भा लामा) का वित्तीय विवरणिकाओं की लष्ठा परीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमन मसर्स सेतुसमुंदरम लिमिटेड (कंपनी) का स्टैंडअलोन भारतीय लष्ठा मानक का रूप में वित्तीय विवरणों की लष्ठा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2025 का तुलनपत्र का अन्य व्यापक आय सहित लाभ व हानि विवरणिका इक्विटी में परिवर्तन और वर्षांत का लिए कश फ्लो का विवरणिका स्टैंडअलोन भारतीय लष्ठा मानक का रूप में वित्तीय विवरणिका सहित वर्षांत का लिए महत्वपूर्ण लष्ठाकीकरण नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी आदि शामिल है ।

हमारी राय में और हमारी सबस अच्छी जानकारी स और हमें दी गई व्याख्याओं का अनुसार, हमारी रिपोर्ट में योग्य राय का अनुसार उल्लिखित मामल का प्रभावों का अलावा उपरोक्त स्टैंडअलोन भारतीय लष्ठा मानक स्टैंडअलोन भारतीय लष्ठा मानक स्टैंडअलोन भारतीय लष्ठा मानक का रूप में वित्तीय विवरण द्वारा आवश्यक ढंग स कंपनी अधिनियम द्वारा मांगी गई सूचनाओं को प्रकट किया जाता है और भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए लष्ठांकन सिद्धांतों का अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दसा है, जिसमें अधिनियम की धारा 133 का तहत निर्धारित भारतीय लष्ठा मानक शामिल हैं, कंपनी का स्टट आफ अपर्स लाभ सहित अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और वर्षांत तक नकदी प्रवाह का कंपनी का (भारतीय लष्ठाकीकरण मानक) नियम 2015 पठित 31 मार्च 2025 को संशोधित है ।

योग्य राय का लिए आधार

1. वर्ष 2004 से लेकर अब तक कंपनी ने वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किया है । विभिन्न विसंगति के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर वर्ष 2007 मे पूँजी ड्रेजिंग कार्य रोका गया । वर्ष 2009 से प्रचालन कार्यकलापों में समापन हाने के कारण कंपनी ने विभिन्न प्रचालन संपत्ति जैसे टगस, नेविगेशनल एड्ड, लांचस, बोया आदि को बेच दिया । दि.18.6.2019 के मंत्रालय के संदर्भादीन पत्र के निर्देशों के अनुसार एस सी एल ने दि.28.6.2019 को 59 वाँ बोर्ड की बैठक में कानूनी राय प्राप्त करने के बाद कंपनी के समापन के प्रस्ताव के लिए मंत्रालय से अनुमोदन

भेजा। अपर पधन प्रोसेक्यूटर ने दि.13.12.2019 को विचार किया कि कार्पोरेशन को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 272 के तहत समापन किया जा सकता है बशर्तकि अन्य शर्तों के सहित हो। पत्तन, पोत परिवहन जलमार्ग के राज्य मंत्री के अध्यक्षता पर आयोजित बैठक में दि.29.4.2021 को कंपनी के समापन के बारे में चर्चा कर लिया। ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया के देय की समझौता प्रक्रिया के बारे में चर्चा की।

2. दि.24.6.2021 के सूचना के अनुसार पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री ने ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया से देय की बाकी राशि के संबंध में निर्णय लेने के लिए अनुरोध किया तथा 6 महीने के अंदर कंपनी के समापन हेतु कार्यकलापों को पूरा करने हेतु टाइमलाइन को नियत किया जाए।
3. आई एन डी ए एस 1 के अनुसार वित्तीय विवरणिकाओं के प्रत्यावेदन, वित्तीय विवरणिका की तैयारी करते समय प्रबंधन एक चालू प्रतिष्ठान को जारी रखने की एक इकाई की क्षमता का आकलन करेगा। प्राप्त साक्ष्य और परिस्थितियों भौतिक अनिश्चितता के अस्तित्व को इंगित करती हैं जो कंपनी की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण संदेह पैदा करती है और इसलिए वित्तीय विवरणिकाएँ चालू कंपनी के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी।
4. परिसंपत्तियों और देनदारियों के हानि मूल्य को स्टेडअलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणिकाओं में पहचाना जाना है और हमें पर्याप्त जानकारी और तकनीकी रिपोर्ट की अनुपलब्धता के अभाव में हानि मूल्य की मात्रा निर्धारित करने में असमर्थ है। कंपनी व्यवसाय के सामान्य क्रम में अपनी परिसंपत्तियों की वसूली और अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में असमर्थ हो सकती है। वित्तीय विवरणिकाएँ इस मामले का पर्याप्त रूप से खुलासा नहीं करते।
5. इंडस्ट्रीस ए एस 10 में आगे की प्रासंगिक धाराएँ जैसा लागू हो, को भी यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है।

“एक इकाई अपने वित्तीय विवरण को चालू कंपनी के आधार पर तैयार नहीं करेगी यदि प्रबंधन रिपोर्टिंग अवधि के बाद यह निर्धारित करता है कि उसका इरादा है इकाई को समाप्त करने या व्यापार बंद करने के लिए या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।”

“रिपोर्टिंग अवधि के बाद परिचालन परिणामों और वित्तीय स्थिति में गिरावट इस

बात पर विचार करने की आवश्यकता का संकेत दे सकती है कि क्या चालू कंपनी की धारणा अब भी उपयुक्त है तो प्रभाव इतना व्यापक है कि इस मानक में लेखांकन के मूल आधार के भीमर मान्यता प्राप्त राशियों के समायोजन के बजाय लेखांकन के आधार पर मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता होगी ।“

इस प्रकार इंडस्ट्रीस ए एस 10 कंपनी के आधार पर रिपोर्टिंग तिथि के बाद चालू प्रतिष्ठान की धारणा समाप्त होने पर भी वित्तीय विवरण तैयार किया जा सकता है तो यह उस कंपनी के लिए भी लागू होता है जिसने अपना चंचानल बंद कर दिया है और इस प्रकार रिपोर्टिंग तिथि से पहले चलने की धारणा का अस्तित्व समाप्त हो गया है ।

तैयारी के आधार वाली महत्वपूर्ण लेखा नीतियों नोट 2 में कंपनी ने कहा है कि वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों के साथ सभी भौतिक पहलुओं का अनुपालन करते हैं । कंपनी नियम 2015 और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पढ़ें ।

लेखा परीक्षा के लिए हमें प्रस्तुत वित्तीय विवरण मूल धारणा के साथ तैयार किए गए हैं जो ऊपर विर्णित कारणों से मान्य नहीं है । इस प्रकार कंपनी का यह दावा कि वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं क्योंकि इंडस्टीज ए एस 1 और इंड ए एस 10 ऐसी स्थिति में वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति नहीं देते हैं ।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों (नोट 2) में, कंपनी ने कहा है कि वित्तीय विवरण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (भारतीय लेखा मानकों) के साथ कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करते हैं । वर्तमान संदर्भ में यह दावा मान्य नहीं है । उपरोक्त तथ्यों के बावजूद, चालू व्यवसाय के आधार पर वित्तीय विवरणों का निरंतर तैयार होना, भारतीय लेखा मानकों की आवश्यकताओं का उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप वित्तीय स्थिति और निष्पादन का महत्वपूर्ण गलत विवरण सामने आता है ।

6. बैंकों के साथ लघु अवधि जमा, विविध समायोजन, विविध प्राप्तियों, पूंजीगत अग्रिमों, व्यापार प्राप्तियों और जमाओं से संबंधित स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरण के टिप्पणी सं 6,7 तथा 16 की टिप्पणी के लिए पृष्ठ ।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसएसएस) पर मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की। हमारी रिपोर्ट की वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अनुभाग के लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को वर्णित किया गया है।। आचार संहिता के अनुसार भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी नैतिक आवश्यकताओं के साथ हम कंपनी के स्वतंत्र हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरण हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित है। हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा सबूत हमारे योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट सहित अनुबंध की रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट, व्यावसायिक जवाबदेही रिपोर्ट और कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट शामिल है लेकिन इसमें स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में हमारी राय वित्तीय वक्तव्यों में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस बारे में आश्वासन के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय वक्तव्यों के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि अन्य जानकारी को भी पढ़ें और ऐसा करने पर यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी, स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या उस समय प्राप्त किए गए ज्ञान से संबंधित है या हमारी लेखा परीक्षा या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

हमारे द्वारा किए गए काम के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर आए हैं कि अन्य जानकारी गलत है, हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हम इस निष्कर्ष पर भी आए हैं कि इस तरह की अन्य जानकारी का गलत इस्तेमाल करने से, उपरोक्त योग्य राय, वर्णित मामलों से संबंधित होगा।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि में स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा। इन मामलों को वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा के संदर्भ में संबंधित है और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। योग्य राय हेतु वर्णित मामले के

अलावा, हमने नीचे वर्णित मामलों को निर्धारित किया है जो हमारी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों से संबंधित हैं।

क्र सं	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1	<p><u>डी सी आई को देय</u></p> <p>कंपनी द्वारा डी सी आई को देय बाकी को निपटाने हेतु कई समितियाँ आयोजित की है। अंत में पो.प.मंत्रालय ने पोत परिवहन के स.स व वि.स तथा संस(पी) & डी ए (पी) के साथ समिति स्थापित की। यह समिति ने मई 2019 में बैठक आयोजित किया तथा कंपनी द्वारा उपलब्ध निधियों में से अदायगी किया गया तथा कंपनी ने सरकार से रु.115.72 करोड़ के अनुदान का अनुरोध किया। वी व 2021-22 के दौरान, डीसीआई को रु.20 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। अब डी सी आई को अदायगी की जानेवाली राशि रु.65.72 करोड़ है।</p>	<p>कंपनी के साथ उपलब्ध सूचना और प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श करने पर, हम समझते हैं, हम समझते हैं कि, वर्ष के दौरान कुछ भुगतान किए गए थे और अनुदान की स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।</p>
2	<p><u>प्रावधान और आकस्मिक देयताएँ</u></p> <p>कंपनी में कई कानूनी और विनियमन मामले हैं जिस पर अंतिम परिणाम की आसानी से नहीं की जा सकती है और जिसके परिणामस्वरूप अधिक देयताएँ होती हैं।</p> <p>स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरणिकाओं में टिप्पणी 24 में आकस्मिक देयताओं के संबंधित प्रबंधन को प्रकट किया गया है।</p> <p>काम्प्लेक्स मान्यताओं से आधारित विसंगति के साथ मूल्यांकन जोखिम सम्मिलित है। प्रावधान के स्तर का स्थापित करने हेतु न्याय की आवश्यकता होती है जोखिम अधिक होने के कारण प्रावधान व आकस्मिक देयताओं को उचित</p>	<p>आकस्मिक देयताएँ तथा विसंगति के समझौता पर्याप्त रूप से प्राप्त करने के लिए हम ने पहचान की प्रक्रिया को चर्चा की। प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित किया कंपनी के कार्मिक व प्रबंधन के साथ विभिन्न चर्चाओं द्वारा ऐसे प्रावधान हुआ।</p> <p>हमने पढा जहां लागू हो, कंपनी द्वारा मांगी गई बाहरी कानूनी या नियामक सलाह हो</p> <p>हमने कंपनी के कुछ निश्चित भौतिक मामलों पर चर्चा की, जो रिपोर्ट में कंपनी के मूल्यांकन की संभावना, परिमाण और किसी भी देयता के लेखांकन का निर्धारण करने के लिए उत्पन्न हो सकते हैं।</p>

	<p>रूप से प्रावधान नहीं किया जाता या पर्याप्त रूप से प्रकट नहीं किया जाता तदनुसार यह मामला लेखा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मामला रहा ।</p>	<p>दि.31 मार्च 2024 को निपटाने हेतु लंबित तथा फाइल किए गए कानूनी मामलों की स्थिति को विश्लेषण किया गया। उपरोक्त के नजर में, हमने रिकॉर्ड किया कि स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरणों में पर्याप्तता प्रकट करने को पता करने के लिए हमारे न्याय तथा रिकॉर्ड किए गए प्रावधानित राशि की समीक्षा किया गया।</p>
--	---	--

स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के लिए शासन पर प्रबंधन के उत्तरदायित्व

धारा 134 (5) कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") में कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदारी है स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरणिका की तैयारी इस बात का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जाता है कि वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन और कंपनी के नकदी प्रवाह भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखाकरण सिद्धांतों को अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक, प्रासंगिक नियम जारी किया गया । इस उत्तरदायित्व में यह भी शामिल होगा कि कंपनी के परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकॉर्ड के अनुरक्षण तथा धोखाओं व अन्य अनियमताओं से बचने व पता करने के लिए तथा लेखाकरण नीतियों के उचित चयन, विवेकपूर्ण व उचित प्राक्कलन के निर्णय, स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के संबंधित तैयारी व प्रस्तुतीकरण जो सही दृष्टिकोण दर्शाता है तथा धोखे से देय गलती से मुक्त हो ।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी की क्षमता को पता करने के लिए जिम्मेदार होंगे कंपनी प्रगति में जारी हो, प्रकटीकरण में लागू हो । प्रगति से संबंधित मामले हो या तो संगठन कंपनी को लिक्विडेट करना चाहा या प्रचालन को आसान करना या ऐसा करने हेतु कोई वास्तविक विकल्प न हो ।

प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे ।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारे उद्देश्य यह है कि इसका आश्वासन प्राप्त किया जाना है कि स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरण गलतफहमी से मुक्त हैं या पूर्ण हैं या पूर्ण हैं या धोखे हो या

या त्रुटिपूर्ण हो और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है कि जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार किया गया लेखा परीक्षा हमेशा गलती नहीं होगी। गलतफहमी धोखे या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है यदि, व्यक्तिगत रूप से या पूर्ण रूप से वे इन स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसएस के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी:

- स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के अनुसार, भौतिक गलतफहमी के जोखिमों को पहचानें और उनका मूल्यांकन करें, चाहे धोखे या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के डिजाइन पर निष्पादित करें, लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखे के परिणामस्वरूप होने वाली गलती के एक त्रुटि से होनेवाले गलती से अधिक हो क्योंकि धोखे में कोल्यूसन, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन प्रभावी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।
- उपयोग की गई लेखाकीकरण नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन किया जाए।
- लेखाकीकरण की प्रगति प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है, और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री की अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है जो एक प्रगति में है या नहीं। यदि हम इस निष्कर्ष पर आए हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के रूप में स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या यदि इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हो तो हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी की प्रगति को जारी किया।

- स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणिकाओं में संपूर्ण प्रकटीकरण, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें तथा स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरणिकाओं में लेनदेन का प्रत्यावेदन किया है तथा घटनाओं के उत्तम प्रतिनिधित्व किया जाता है।

हम अन्य मामलों के बीच, शासन, आयोजित विस्तार व लेखा परीक्षा का समय या महत्वपूर्ण फेंडिंगस सहित कोई महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा फेंडिंगस सहित आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमि हो जो हम लेखा परीक्षा में पहचान कर सकें के बारे में सूचित किया गया ।

हम उन लोगों को भी एक बयान के साथ शासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षाबल को भी सूचित किया है। शासन के साथ आरोपित मामलों से सूचित किए जाने पर निर्णय लेते हैं कि संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो मौजूदा अवधि में स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरणिकाओं की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से ऐसी सूचना से जनहित के नजर में बुरी प्रभाव पड़ जाएगी ।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी के प्रावधानों में मांगे अनुसार, (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश"), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के मामले में परिशिष्ट ए में, आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू आदेश हम देते हैं ।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (i) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की तलाश की और प्राप्त की जो हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे;
- (ii) ऊपर दिए गए योग्य राय के पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में कानून द्वारा आवश्यक उचित पुस्तकों को कंपनी द्वारा अब तक रखा गया है क्योंकि अब तक उन पुस्तकों के परीक्षण से प्रकट होता है;
- (iii) बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह के विवरण खाते की पुस्तकों के साथ हैं;
- (iv) हमारे राय में उपरोक्त योग्य राय पैराग्राफ के लिए निर्धारित मामले के प्रभाव के

अलावा उपरोक्त कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित स्टैंड अलोन भारतीय लेखाकरण मानक सहित वित्तीय विवरणिकाओं में उल्लिखित किया है।

(v) कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं जीएसआर 463(ई) दि.5.6.2015 के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगा।

(vi) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में तथा नियंत्रणों के परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में ऐसे प्रयत्न के प्रभाव पर अनुलग्नक बी में हमारी अलग रिपोर्ट को संदर्भित है

(vii) अन्य मामलों के संबंध में लेखा परीक्षक रिपोर्ट में कंपनी (लेखा परीक्षक व लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, हमारी राय में और हमारी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार दिया जाना चाहिए। हमें;

ए. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन भारतीय मानक के वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित विसंगतियों का प्रकट किया है स्टैंडअलोन भारतीय मानक के वित्तीय विवरणिकाओं में टिप्पणी का संदर्भ संख्या 24 पर संदर्भ लें।

बी. कंपनी के पास व्युत्पन्न ठंके सहित कोई लंबी अवधि के अनुबंध नहीं है, जिसके लिए कोई भी सामग्री पर हानि होगी।

सी. कोई निधि है तो कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को स्थानांतरित किया जाना है।

3. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) द्वारा मांगे अनुसार, हम कंपनी के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण, अनुबंध सी में देते हैं।

4. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, 2013 के कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के द्वारा जारी अधिसूचना संख्या.जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है।

5. एप्रबंधन ने यह दर्शाया है कि (, खातों की टिप्पणी में बताने के अलावा, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या (व्यक्तियों) को (संस्थाओं) संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएं शामिल हैं ("मध्यस्थ"), कोई भी निधि अग्रिम या ऋण या निवेशित नहीं की गई है चाहे उधार ली गई निधियों से या शेयर) (प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को ("अंतिम लाभार्थी")

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार लिया जाएगा या निवेश किया जाएगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान किया जाएगा ।

बी) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("वित्तपोषण पक्ष") शामिल हैं, कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार दी जाएगी या निवेश की जाएगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान की जाएगी ; तथा

सी) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत (ए) और (बी) के तहत दिए गए अभ्यावेदन में कोई भी गलत बयान शामिल है।

6. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के तहत कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

7. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) संशोधित, के प्रावधान के अनुसार, दि. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया है, जिसमें लेखा परीक्षा ट्रेल सुविधा(एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है। रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते रवि व रघु
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पं सं 005060S

ह/-

(के.रवि)
भागीदारी

एम नं. 026783

यूडीआईएन : 25026783BMIXQ09287

स्थान : चेन्नई
तारीख : 01.08.2025

अनुलग्नक – ए स्वतंत्र लेखा परीक्षक के लिए रिपोर्ट

(सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट की अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में संदर्भित)

(ए) (ए) हमारी राय में, कंपनी पूर्ण विवरण तथा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के स्थान सहित, समुचित रिकार्ड रख रही है। तथापि, इसमें और सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

(बी) कंपनी के पास वर्ष के दौरान कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है। तदनुसार, आदेश के खण्ड 3(i)(क)(ख) के अधीन प्रतिवेदन कंपनी पर लागू नहीं होता।

(बी) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, प्रबंधन द्वारा उचित अंतरालों पर सभी संपत्तियों और संयंत्र और उपकरण का भौतिक रूप से सत्यापन नहीं किया गया है। कंपनी द्वारा अंतिम भौतिक सत्यापन 19 नवम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार किया गया था। पिछले सत्यापन के दौरान कोई सामग्री असंगति नहीं पाई गई।

(सी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है और मूल शीर्षक वाले कामों का सत्यापन नहीं होता।

(डी) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, प्लांट और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई।

(ई) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर बेनामी संपत्ति संव्यवहार निषेध अधिनियम, 1988 (2016 में यथा संशोधित) (पूर्व में बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) के तहत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या वे लंबित हैं और उसके तहत बनाए गए नियम, और क्या कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में उचित रूप से विवरण प्रकट किया है या नहीं, इस पर हमारी टिप्पणी का प्रश्न ही नहीं उठता।

(i) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कोई वस्तु सूची नहीं थी इसलिए यह खण्ड (ii) कंपनी पर लागू नहीं है।

(ii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड देयता भागीय अथवा अन्य पत्रकारों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है। परिणामस्वरूप, आदेश के खण्ड (iii) (क) से (ग) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते।

(iii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

(iv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जमा माना जाता है और धारा 73 से 76 के अर्थ में अथवा अधिनियम और कंपनी (जमा की स्वीकृति) के अन्य संगत प्रावधानों के अंदर जनता से स्वीकृत जमाओं के संबंध में नियम 2015 लागू नहीं होते हैं।

(v) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों का रख-रखाव विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(vi) ए. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी आमतौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर सहित अविवादित सांविधिक देय राशि जमा करने में नियमित है और अन्य कोई सांविधिक देय राशि जहां कहीं भी लागू हो, वर्ष के दौरान उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ और मार्च, 31 2025 तक देय कोई भी गैर-विवादित राशि उस दिन से छः महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी जिस दिन वे देय हो गए थे।

(रु. लाखों में)

स्टेचूट का नाम	देय की प्रकृति	राशि	अवधि जिससे राशि संबंधित है (वित्तीय वर्ष)	देय तारीख	अदायगी की तारीख
स्रोत आयकर से घटित कर	घटाई में कमि, ब्याज, विलंब फाइलिंग शुल्क	5.12	पिछले साल	लागू नहीं	लागू नहीं

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, बिक्री कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक देयताओं के संबंध में कोई विवादित देयता नहीं है, सिवाय आयकर के, जैसा कि नीचे दिया गया है:

(रु. लाखों में)

स्टेचूट का नाम	देय की प्रकृति	ग्रास राशि	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहाँ डिस्पुट लंबित है
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

- (vi) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर आकलनों में वर्ष के दौरान आत्मसमर्पण की गई या आय के रूप में प्रकट की गई लेखा पुस्तकों में कोई लेन-देन दर्ज नहीं किए गए।
- (vii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं अथवा बैंकों अथवा सरकार से वर्ष के दौरान कोई ऋण (ऋण उपकरणों सहित) प्राप्त नहीं किया है और इसलिए यह खण्ड कंपनी पर लागू नहीं है।
- (ix) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या ऋण के साधनों, अधिमानी आवंटन या निजी शेयरों की निजी जमावट या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर सहित आगे सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। इसलिए इस खंड (X) के अधीन रिपोर्ट करना कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (X) (क) प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृश्य की रिपोर्ट देने के उद्देश्य से हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी या कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी के साथ कोई धोखाधड़ी या रिपोर्ट नहीं की गई है।
 (ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अधीन वर्ष के दौरान और इस प्रतिवेदन की तारीख तक केन्द्रीय सरकार के साथ कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत यथा विहित प्रपत्र एडीटी-4 में कोई प्रतिवेदन दायर नहीं किया गया है।
 (ग) कंपनी के लिए विसिल-ब्लोअर यंत्र अनिवार्य नहीं है और इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की गई है।
- (xi) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी, निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (xii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो। सभी लेन-देन के विवरणों को लागू लेखांकन मानकों द्वारा आवश्यकतानुसार वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।
- (xiii) कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और स्वरूप के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है और लेखापरीक्षा के अधीन अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार किया गया।
- (xiv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेन-देन नहीं किया है।

(XV) (क) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-एल ए के अधीन पंजीकृत किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः, इस आदेश के खण्ड 3(XV)(क), (ख) और (ग) के अधीन प्रतिवेदन लागू नहीं है।

(ख) हमारी राय में, समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज (रिजर्व बैंक) के निर्देशों 2016 में परिभाषित है,) और तदनुसार आदेश के खंड 3(XV)(डी) के तहत प्रतिवेदन लागू नहीं है।

(XVI) हमारे लेखा परीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी में रु.21.51 लाख नकद की हानि हुई है और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान रु.17.54 लाख की हानि हुई है।

(XVII) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(XVIII) वित्तीय देयताएँ की वसूली और वित्तीय परिसंपत्तियों के भुगतान की समय-समय पर वृद्धावस्था और अपेक्षित तारीख के आधार पर वित्तीय वक्तव्यों और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के प्लान के साथ अन्य सूचना और पूर्वानुमानों का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की तारीख के अनुसार भौतिक अनिश्चितता बनी हुई है जिससे पता चलता है कि कंपनी तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय राशि के रूप में और जब वे तुलन-पत्र की तारीख से नियत हो जाएं तो विद्यमान अपनी देयताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी प्रतिवेदन लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है।

(XIX) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों को कंपनी पर लागू नहीं हैं। अतः, आदेश के खण्ड 3(XX) के अधीन प्रतिवेदन लागू नहीं है।

(XX) आदेश के खण्ड 3(XVI) के अधीन रिपोर्टिंग स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के संबंध में लागू नहीं होती है। अतः, इस पर टिप्पणी नहीं की गई।

स्थान : चेन्नई

तारीख : 01.08.2025

कृते रवि & रघु

चार्टर्ड एकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण सं.005060एस

ह/-

(के.रवि)

भागीदारी

एम नं. 026783

यूडीआईएन: 25026783BMIXQ09287

आईएफसीओएफआर पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उस दिन मेसर्स सेतुसमुद्र कार्पोरेशन लिमिटेड के स्वतंत्र लेखापरक्षक प्रतिवेदन का अनुलग्नक “बी ” (हमारे समदिनांकित प्रतिवेदन में अन्य कानून व विनियमित आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत पैरा 2 में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 के उपधारा 3 के खंड(1) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रतिवेदन उस दिन को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय तालिकाओं का हमारे लेखा परीक्षण के साथ संयोग में 31 मार्च, 2025 के दिन मेसर्स सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय प्रतिवेदीकरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का हमने लेखा परीक्षण किया ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदीकरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शिका में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक भागों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदीकरण मापदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय निंत्रण स्थापित तथा रखरखाव करने की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। इसमें कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन आवश्यकता के अनुसार, विश्वसीय वित्तीय विवरण का समय पर तैयारी, लेखाकरण अभिलेखों की सहीपन तथा संपूर्णता, संपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करना, कपट तथा त्रुटियों का रोकथाम व पहचान, कंपनी नीतियों का अनुपालन सम्मिलित करके व्यापार का सही तथा दक्ष चालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जो प्रभावी तौर पर कार्य कर रहा हो, को ढँचाकृत करना, कार्यान्वयन करना तथा रखरखाव करना सम्मिलित है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारे जिम्मेदारी, वित्तीय प्रतिवेदीकरण के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों (मार्गदर्शिका टिप्पणी) तथा लेखा परीक्षण पर मानक के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शिका के अनुपालन में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर प्रयोज्य विस्तार तक, हमारे लेखा परीक्षण को आयोजित किया। इस मानक तथा मार्गदर्शिका टिप्पणी के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकता का अनुपालन करें और इस उचित आश्वासन प्राप्त करके कि वित्तीय प्रतिवेदीकरण के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित तथा रखरखाव किया गया क्योंकि यह मामला निम्न प्रकार से डिस्क्लैमर आफ ओपिनियन पैरा में उल्लिखित हो । हम विश्वास करते हैं कि जो लेखा परीक्षण गवाह हमने प्राप्त किया है वह वित्तीय प्रतिवेदीकरण

के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारे लेखा परीक्षण राय प्रदान करने के लिए दक्ष तथा पर्याप्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का समझौता प्राप्त करना, उस जोखिम मूल्यांकन को शामिल करना है, जो सामग्री की कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करता है। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमक मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोकेबाजी या त्रुटि के कारण हो।

निम्न पैरा के विचार पर डिस्कलैमर में उल्लिखित होने के कारण हम पर्याप्त उचित लेखा परीक्षा साक्षी प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे ताकि कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सिस्टम पर लेखा परीक्षा के लिए आधार प्रदान सकें।

वित्तीय प्रतिवेदीकरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय प्रतिवेदीकरण के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय निष्पादन उस प्रक्रिया है जिन्हें वित्तीय प्रतिवेदीकरण की संधारणीयता तथा सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुपालन में बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय तालिकाओं की तैयारी पर पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने के लिए ढाँचाकृत किया गया है। वित्तीय प्रतिवेदीकरण के ऊपर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसे नीति तथा प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं जो

- (1) अभिलेख की रखरखाव से संबंधित है जो, कंपनी के संपत्तियों के कारोबारों और स्वभाव को उचित विवरण, सही तौर पर तथा निष्पक्ष प्रतिबिंबित करता है।
- (2) सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा नीतियों के साथ अनुपालन में वित्तीय तालिकाओं की तैयारी के लिए आवश्यक कारोबारों को उचित तौर पर दर्ज करने और कंपनी के प्राप्तियों व व्यय को प्रबंधन तथा कंपनी के निदेशकों के प्राधिकरण के साथ किये जाने संबंधित आश्वासन प्रदान करता है और
- (3) कंपनी के संपत्तियों का अप्राधिकृत खरीदी, उपयोग या बिक्री जिससे वित्तीय तालिकाओं पर सामग्रीय प्रभाव हो सकता है, का समय पर पहचान या रोकथाम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की गलती या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखेबाजी के कारण सामग्री गलति से हो सकती है तथा इसे पता लगाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि,

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है ।

राय के डिस्क्लेमर

हमारे राय में, कंपनी के सभी सामग्रीय पहलुओं में, वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीयनियंत्रण उपलब्ध है और आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शिका टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक भागों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदीकरण मापदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित करके, वित्तीय प्रतिवेदीकरण के ऊपर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31, मार्च 2023 तक प्रभावी तौर पर कार्य कर रहा था। हमने प्रकृति, समय, कंपनी के वित्तीय विवरणिकाओं में सैंडअलोन के लेखा परीक्षा में लागू लेखा परीक्षा टेसट के अनुसार निर्णय करते हुए उक्त डिसक्लेमर रिपोर्ट पर विचार किया है । तथा कंपनी के वित्तीय विवरणिकाओं के स्टैंडेड लोन पर हमारे राय डिस्क्लेमर पर बाधित नहीं होता ।

कृते रवि & रघु

चार्टर्ड एकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण सं.005060एस

ह/-

)क्वैरवि.

भागीदारी

एम नं. 026783

यूडीआईएन : 25026783BMIXQ09287

स्थान : चेन्नई

तारीख : 01.08.2025

सेवा में

सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड के सदस्य

31 मार्च 2025 समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों तथा उप-निर्देशों के बारे में नीचे उत्तर दिया है ।

क्रम सं.	निर्देशों तथा उप-निर्देशों	ली गई कार्रवाई	वित्तीय विवरण का प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास आई टी प्रक्रिया द्वारा सभी लेखाकरण लेनदेन की प्रक्रिया को प्रस्तुत करने में क्या कोई सिस्टम है ? अगर हाँ तो वित्तीय बाधाओं के साथ लेखाओं की जाँच पर आई टी सिस्टम के बाहर लेखाकरण लेनदेन की प्रक्रिया के बाधाओं को उल्लिखित किया जाए ।	हमको दिए गए स्पष्टीकरण और सूचना के अनुसार, कंपनी टेली साफ्टवेयर में लेखाओं को जारी करता है । कंपनी ने अपने वाणिज्यिक प्रचालन की शुरुआत नहीं की है । सभी आय व व्यय को टेली में लेखाकृत किया है । वर्ष 2022-23 के दौरान आई टी सिस्टम के बाहर लेखाकरण लेनदेन की प्रक्रिया नहीं किया जाता ।	लागू नहीं है ।
2.	लेनदार द्वारा कंपनी को किए गए मौजूदा ऋण या छूट/बट्टे खाते/ऋण/ब्याज आदि के पुनर्गठन कंपनी के असमर्थता या ऋण के पुन अदायगी प्रकट करता है अगर हाँ तो वित्तीय बाधाओं के बारे में उल्लिखित किया जाए ।	वर्ष 2022-23 के दौरान, हमको दिए गए स्पष्टीकरण व सूचना के अनुसार ऋण/ ब्याज/के बट्टेखाते/छूट पुनर्गठन का कोई मामला नहीं है ।	लागू नहीं है ।
3.	अवधि तथा शर्तों के अनुसार, केन्द्र/राज्य एजन्सियों से क्या कोई प्राप्त/प्राप्ति निधि निर्धारित योजना हेतु प्राप्त किया है ?	वर्ष 2022-23 के दौरान, हमको दिए गए स्पष्टीकरण व सूचना के अनुसार केन्द्र/ राज्य एजन्सियों से निर्धारित प्राप्ति प्राप्त नहीं है ।	लागू नहीं है ।

कृते रवि & रघु

चार्टर्ड एकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण सं.005060एस

ह/-

(के.रवि)

भागीदारी

एम नं. 026783

यूडीआईएन : 25026783BMIXQ09287

स्थान : चेन्नई

तारीख : 01.08.2025

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम—सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड (एससीएल)

न्यायालय में निलंबित प्रकरणों का विवरण

क्रम सं.	अर्जी का नाम	प्रकरण सं और न्यायालय का नाम जिसमें प्रकरण निलंबित हो	प्रकरण कब से निलंबित रहा	प्रकरण का वर्ग/ लघु समस्या	सम्मिलित रकम (रुपयों में)	मामले की मौजूदा स्थिति
1	ओ. फेर्नांडिस बनाम टीएनपीसीबी, यू ओ आई, टीपीटी और अन्य	डब्ल्यू पी 33528 और 34436 मद्रास उच्च न्यायालय में	2004	दि 7.9.2004 से अपनाये गये सार्वजनिक सुनवाई अप्रभावी रहा और आगे सार्वजनिक सुनवाई 19.11.2004 से 30.11.2004 तक आयोजित किया गया। जैसेकि एनईईआरआई द्वारा आयोजित ईआईए व्यापक नहीं रहा तथा सार्वजनिक सुनवाई विधि की आवश्यकताओं के साथ अनुपालन में नहीं है।	शून्य	एस एस सी पी के कार्यान्वयन के विरुद्ध सभी मामले हैं। सभी मामलो को सिंगल के रूप में सुनाया जा रहा है। दि.16.3.2018 को एक शपथ पत्र फाइल किया जिसमें उल्लेख किया गया कि राष्ट्र के हित में आदम ब्रिज/रामसेतु को विनाश/बाधा किए बिना सेतुसमुंदरम जहाज चैनल परियोजना के पिछले अलैनमेंट पर दूसरे विकल्प के बारे में भारत सरकार ने विचार किया। माननीय न्यायालय द्वारा पेटिशन को तदनुसार निपटाया जाएगा। इसके अलावा, दि.11.12.2023 को मामले की सुनवाई हुई, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया कि

					<p>"सामान्य एकमात्र याचिकाकर्ता की मृत्यु हो गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने अंतिम अवसर दिए जाने के बावजूद प्रतिस्थापन के लिए आवेदन में दोषों को ठीक नहीं किया है। रजिस्ट्री आवश्यक निर्देशों के लिए माननीय न्यायाधीश के समक्ष चैंबर में सूचीबद्ध करने के लिए मामलों को संसाधित करें"। अंत में मामले की सुनवाई दि.09.09.2024 को हुई, और आठ सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया। अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है।</p>
--	--	--	--	--	--

2	ओ. फेर्नान्डिस बनाम भारत सरकार, पृथ्वी व वित्त मंत्रालय, टीपीटी, एनपीसीबी और अन्य	डब्ल्यूपी 21532 और डब्ल्यूपी एमपी सं.23473 से 23475 मद्रास उच्च न्यायालय में	2005	दि 31.3.2005 के पर्यावरणीय क्लियरेंस को मिटाना	शून्य	उपरोक्त अनुसार
3	ओ. फेर्नान्डिस बनाम यू ओ आई व अन्य	एसएलपी (सी) 19176 और एसएलपी (सी) 20758 भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में	2005	ए) डब्ल्यूपी (सी) 21532/2005 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय तथा आदेश दि.30.06.2005 के प्रचालन पर स्टे बी) प्रतिवादी द्वारा अपनाये गये सेतुसमुद्रम जहाज चैनल परियोजना (एसएससीपी) के आगे की कार्यान्वयन को रोकना	शून्य	उपरोक्त अनुसार
4	श्री रामगोपालन बनाम यू ओ आई व अन्य	डब्ल्यूपी सं.18076, जोबादमेंमाननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय में अंतरणप्रकरण (सी) 25 बन गया	2007	अलाइनमेंट सं.6 का अनुपालन करते हुए आदम ब्रिज को विध्वंश न करते हुए तथा आलाइनमेंट 3,5 और 6 के अलावा अन्य किसी अलाइनमेंट द्वारा परियोजना को पूर्ण करने पर विचार करने निर्देश देते हुए तथा अलाइनमेंट 1, 2 या 4 का अनुपालन करते हुए परियोजना को पूर्ण करने ।	शून्य	उपरोक्त अनुसार

5	डॉ सुब्रमण्यन स्वामी और यू ओ आई व अन्य	डब्ल्यूपी सं.18223, जो बाद में माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय में अंतरण प्रकरण (सी) 26 बन गया	2007	ऐतिहासिक क्षेत्र राम सेतु जिन्हें अन्यथा आदम ब्रिज बताया जाता है को बाधा न पहुँचाते हुए या विध्वंश करते हुए, अन्य वैकल्पिक रास्ता या आलइनमेंट को अनुपालन करते हुए एसएससीपी कार्यान्वयन करने के लिए, मुख्यतः 2 तथा 5वीं प्रतिवादी को निदेश देते हुए उचित रिट या किसी आदेश या रिट ऑफ मेमंडस जारी करें ।	शून्य	उपरोक्त अनुसार
6	डॉ सुब्रमण्यन स्वामी और यू ओ आई व अन्य	डब्ल्यूपी सं.18224 बाद में यह माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय में अंतरण प्रकरण (सी) 27 बन गया	2007	आदमब्रिज/ रामसेतु की ओरिजिन के बारे में जॉच पडताल करने के लिए तथा बाद में उसे पुराने स्मारक तथा पुरा तात्विक क्षेत्रों व बचे अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक चिन्ह घोषित करने हेतु प्रतिवादी 1,3, 4 को निर्देश देते हुए रिट ऑफ मेमंडस या किसी अन्य उपयुक्त रिट या आदेश जारी करें ।	शून्य	उपरोक्त अनुसार

7	दंडीस्वामी श्री विद्यानंदे भारती जी, शंकराचार्य स्वामी बनाम यू ओ आई व अन्य	माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय में डब्ल्यू पी (सी) सं.413	2007	एसएससीपी को अपनाने संबंधित यू ओ ई के निर्णय को मिटाना 2.तारीख 31.03.2005 के पर्यावरणीय क्लियरेन्स को मिटा देना 3.वन प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के प्रावधान के अधीन एसएससीपी को प्रदान किये गये अनुमति को मिटा देना 4.एसएससीपी को कार्यान्वयन न करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देना 5.पुराने स्मारक तथा पुरा तात्विक क्षेत्रों व बचे अधिनियम 1958 के अधीन राम सेतु को राष्ट्रीय मुख्यता का पुराना स्मारक घोषित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्देश देना ।	शून्य	उपरोक्त अनुसार
---	--	--	------	---	-------	----------------

8	मिसजे. जयललिता बनाम यू ओ आई व अन्य	भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में डब्ल्यू पी सं.15	2008	आदम ब्रिज/राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक के रूपमें घोषित करने के लिए तथा उसे अपनाने तथा संरक्षण करने के लिए, रिट ऑफ मेमण्डस की प्रकृति में 3 या 4 प्रतिवादियों को निदेश देते हुए रिट आदेश या निदेश जारी करें सेतुसमुद्रम परियोजना के निष्पादन प्रक्रिया मे उक्त आदम ब्रिज/राम सेतु को किसी भी प्रकार विध्वंस करने/क्षति पहुँचाने से 1 तथा 2 प्रतिवादी को रोकें ।	शून्य	उपरोक्त अनुसार
---	--	---	------	---	-------	----------------

SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

CIN : U75111TN2004GOI054824 Regd. Office: Indian Maritime University, Uthandi, Chennai – 600 119.

सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड			
दिनांक 31.03.2025 तक के लिए तुलन पत्र			
विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
		रु. लाखों में	रु. लाखों में
पारिसंपत्तियां			
(1) गैर-चालू पारिसंपत्तियां			
(ए) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	4.77	4.77
(बी) पूँजी कार्य में प्रगति	4	86,598.76	86,598.76
(सी) अन्य इन्टाजिबल पारिसंपत्तियां	5	-	-
(डी) अन्य गैर-चालू पारिसंपत्तियाँ	6	85.11	347.28
कुल [1]		86,688.64	86,950.80
(2) चालू पारिसंपत्तियां			
(ए) वित्तीय पारिसंपत्तियां			
(i) व्यापार प्राप्त्य	7	789.09	789.09
(ii) नकदी और समान नकद	8	315.13	325.67
(iii) ऋण	9	-	-
(iv) अन्य वित्तीय पारिसंपत्तियां	10	29.97	12.72
(बी) अन्य चालू पारिसंपत्तियां	11	13.40	4.94
कुल [2]		1,147.59	1,132.42
कुल ए - [1+2]		87,836.23	88,083.22
इक्विटी और देनदारियां			
(1) इक्विटी			
(ए) इक्विटी शेयर कैपिटल	12	74,500.00	74,500.00
(बी) अन्य इक्विटी	13	6,762.31	7,010.51
कुल [1]		81,262.31	81,510.51
(2) गैर-चालू देनदारियां			
(ए) प्रावधानों	14	-	-
(बी) अन्य गैर चालू देनदारियां	15	-	-
कुल [2]		-	-
(3) चालू देनदारियां			
(ए) अन्य चालू देनदारियां	16	6,573.91	6,572.70
(बी) प्रावधानों	17	-	-
(सी) चालू कर देनदारियां (नेट)	18	-	-
कुल [3]		6,573.91	6,572.70
कुल बी - [1+2+3]		87,836.23	88,083.22

महत्वपूर्ण लेखा नोंतियाँ

वित्तीय तालिकाओं पर टिप्पणी को देखें

1 से 33

हमारे समावेनांकित प्रातेवेदन के अनुसार
कृते रावे और रघु
चाटेडे अकाउंटेंट
फम पंजौकृत सं. 005060एस

बोर्ड की ओर से तथा के लिए

ह/-

(क रावे)

भागाादार

एम.नं.026783

यूडीआईएन नं. 25026783बीएमआईएक्सक्यूओ9287

ह/-

मल्ला श्रानवास राव

महाप्रबंधक (एफ)

स्थान: चेन्नई

तारीख : 01.08.2025

ह/-

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

ह/-

श्रीमती जे.पी. आइरिन सिथिया, आई.ए.एस.
निदेशक

SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

CIN : U75111TN2004GOI054824 Regd. Office: Indian Maritime University, Uthandi, Chennai – 600 119.

सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड				
31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते का विवरण				
विवरण		टिप्पणी सं.	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
			रु. लाखों में	रु. लाखों में
I	परिचालन से राजस्व	19	-	-
II	अन्य आय		23.22	22.32
III	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने पर शुद्ध लाभ		-	-
IV	वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्वर्गीकरण पर शुद्ध लाभ		-	-
V	कुल आय (ए)		23.22	22.32
VI	व्यय:			
	कर्मचारी लाभ व्यय	20	24.06	21.15
	वित्त लागत		-	-
	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	3	-	-
	हानि का हास		-	-
	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने पर शुद्ध हानि		-	-
	वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्वर्गीकरण पर शुद्ध हानि		-	-
	अन्य व्यय	21	247.36	18.70
	कुल व्यय (बी)		271.42	39.85
	पूर्व अवधि समायोजन से पहले लाभ [ए-बी]		(248.20)	(17.54)
	पूर्व अवधि समायोजन		-	-
VII	असाधारण आइटम तथा कर स पहल का लाभ		(248.20)	(17.54)
VIII	असाधारण वस्तुएँ		-	-
IX	कर से पूर्व का लाभ		(248.20)	(17.54)
X	कर व्यय:			
	(1) चालू कर	22	-	-
	(2) आस्थगित कर		-	-
XI	निरंतर प्रचालन स अवाध क लिए लाभ/(हानि)		(248.20)	(17.54)
XII	प्रचालनों को रोकने से लाभ/(हानि)		-	-
XIII	प्रचालनों को रोकने से कर व्यय		-	-
XIV	प्रचालनों को रोकने से लाभ/हानि (कर के बाद)		-	-
XV	(XI + XIV) अर्वाध के लिए लाभ / (हानि)		(248.20)	(17.54)
XVI	अन्य संकलित आय		-	-
XVII	(XV + XVI) अर्वाध के लिए कुल संकलित आय		(248.20)	(17.54)
XVIII	इंक्रिटो शंयर प्रांते उपाजन (निरंतर प्रचालन के लिए)			
	(1) मूल		(0.03)	(0.00)
	(2) डायलूटड		(0.03)	(0.00)
XIX	इंक्रिटो शंयर प्रांते उपाजन (बंद प्रचालन के लिए)			
	(1) मूल		-	-
	(2) डायलूटड		-	-
	इंक्रिटो शंयर प्रांते उपाजन (बंद और जारों प्रचालन के लिए)			
	(1) मूल		(0.03)	(0.00)
	(2) डायलूटड		(0.03)	(0.00)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

वित्तीय तालिकाओं पर टिप्पणी को देखें

1 से 33

हमारे समादेनांकित प्रांतेवेदन के अनुसार

कृते रावे और रघु

चाटर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या 0005060S

ह/-

(क.रावे)

भागीदार

एम.नं.026783

यूडीआईएन नं.25026783बीएमआईएक्सक्यूओ9287

ह/-

मल्ला श्रीनेवास राव

महाप्रबंधक (एफ)

स्थान: चेन्नई

तारीख : 01.08.2025

बोर्ड की ओर से तथा के लिए

ह/-

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

ह/-

श्रीमती जे.पी. आइरिन सिंथिया, आई.ए.एस.

निदेशक

सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड लागू भा.ले.मा टिप्पणी

1. कार्पोरेट सूचना

सेतुसमुद्रम जहाज चैनल परियोजना (एसएससीपी) ने, भारत के पूर्वी व पश्चिमी तट व अन्य देशों के बीच के दूर तथा यात्रा समय में कमी दर्शाया तथा भारत के टेरिटोरियल वॉटर के अंदर नौचालन की सुधार हो। इस चैनल की स्थापना की नजर में भारत सरकार ने दि.2 सितंबर 2004 को विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड को आयोजित किया तथा जिसे 6 दिसंबर 2004 को अपनी रजिस्टर्ड कार्यालय भारतीय मारीटाइम विश्वविद्यालय, उतंडी, चेन्नै में तथा कार्पोरेट कार्यालय, चौथा तल, उत्तरी स्कंध, पुराने प्रशासनिक कार्यालय, चेन्नै पत्तन प्राधिकरण, राजाजी सालै, चेन्नै में कंपनी के रूप में सम्मिलित किया गया था।

2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति का संक्षेप

1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरणिका सभी भौतिक पहलू में, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम 2015 के साथ पठित अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 133 तथा अधिनियम के अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (भा ले मा) का अनुपालन करता है।

वित्तीय विवरणिकाएँ लेखाकरण के प्रोदभूत आधार के तहत ऐतिहासिक आधार पर तैयार किया गया है। दि 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष तक वित्तीय विवरणिकाएँ कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम 2006 (संशोधित) तथा अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत अधिसूचित लेखाकरण मानक के अनुसार तैयार किए गए।

30.07.2025 को कंपनी के बोर्ड के निदेशकों द्वारा जारी हेतु वित्तीय विवरणिकाएं प्राधिकृत किया गया। वित्तीय विवरणिकाएं में अंको को रूपए लाखों के नजदीक राउंडआफ किया गया है।

2. लेखाकरण का आधार

चालू विचार के रूप में प्रोदभूत आधार पर बुकों का अनुरक्षित किया गया। वित्तीय विवरणिकाएँ में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए लगातार लेखाकरण। नीतियों को लागू किया जाता है।

3. वस्तुसूची का मूल्यांकन

भा.ले.म 2 लागू नहीं है क्योंकि कंपनी के कोई वस्तुसूची नहीं है।

4. नकदी प्रवाह की विवरणिका

अप्रवाही प्रणाली के अनुसार नकदी प्रवाह तैयार किया गया तथा भा.ले.मा 7 अनुपालित किया गया।

5. लेखाकरण नीति, लेखाकरण प्राक्कलन में परिवर्तन और मूलचूक

भा.ले.मा 8 लागू है तथा वि.व 2024-25 के लिए प्राक्कलन में कोई परिवर्तन नहीं है।

वित्तीय विवरणिकाएँ को कंपनी में उपलब्ध मानकों के आधार पर धरणाओं और अनुमानों पर के अधार पर तैयार किया जाता है। मौजूदा परिस्थितियों और भविष्य के विकास के बारे में धारणा, बाजार परिवर्तन या कंपनी के नियंत्रण से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती है। ऐसे परिवर्तन होने पर धारणाओं में ऐसे परिवर्तन दिखाई देते हैं।

6. रिपोर्टिंग अवधि के बाद घटना

रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं, उन घटनाओं के अनुकूल और प्रतिकूल हैं, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत और वित्तीय विवरणों को अनुमोदन की तारीख के बीच होती हैं।

घटना की प्रकृति और उसके वित्तीय प्रभाव को वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में इसको प्रस्तुत किया गया है।

7. आय पर कर

चालू तथा पूर्वावधि के लिए चालू कर, गैर भुगतान की राशि तक, देयता के रूप में माना गया है। अगर पहले ही अदा की गई राशि, चालू तथा पूर्वावधि के लिए देय राशि से अधिक हो जाता है तो अधिकता को परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है।

कंपनी ने वर्ष के लिए प्राक्कलित ब्याज आय पर आयकर प्रदान किया है। चूंकि कंपनी आयकर अधिनियम के कर हॉलिडे के यू/एस 80-आईए के हकदार है, इसलिए भविष्य में कर देनदारों के विरुद्ध पहले से भुगतान किए गए करों को समायोजित करने की कोई निश्चितता नहीं है। इसलिए, लेखा में स्थगित कर संपत्ति/देयता को मान्यता नहीं मिली है।

8. संपत्ति, यंत्र तथा उपकरण

भा.ले.मा के संक्रमण पर, कंपनी ने 1 अप्रैल, 2016 को मान्यता प्राप्त अपनी सभी संपत्तियों, यंत्रों और उपकरणों के वाहक मूल्य के साथ पर चुने गए हैं और इस तरह की संपत्ति, यंत्र और उपकरणों की समेकित लागत को वाहक मूल्य के रूप में उपयोग करते हैं।

ऐतिहासिक लागत मूल्यहास घटाकर संपत्ति, यंत्र और उपकरण कहा जाता है। पूंजीगत कार्य प्रगति पर बताया गया है। अधिग्रहण और परिसंपत्तियों की स्थापना से संबंधित सभी लागत पूंजीकृत हैं। किसी भी व्यापार छूट और छूट लागत पर पहुंचने पर कटौती की जाती है। संपत्ति, यंत्र और उपकरण की नेट वाहक मूल्य राशि को निश्चित संपत्ति या लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि की लागत, जो इसके अवशिष्ट मूल्य से कम है।

संपत्ति, यंत्र और उपकरणों की किसी भी वस्तु को प्रारंभिक रूप से किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से के निपटान पर, पहचान लिया गया है। परिसंपत्ति की पहचान पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि (नेट निपटान कार्रवाई और परिसंपत्ति के राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) संपत्ति को पहचानने पर लाभ या हानि के विवरणिका में शामिल किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 को अनुसूची II के तहत निर्धारित दरों पर संपत्ति के आधार पर संपत्ति के अवधि पर मूल्यहास शुल्क लिया जाता है। निर्धारित परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन वह अवधि है जिस पर एक परिसंपत्ति किसी इकाई द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध होने की सम्भावना है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी में निर्दिष्ट अनुसार निर्धारित संपत्तियों के अवशिष्ट जीवन को अपनाया है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यहास विधि और उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है और विनियमित होने पर समायोजित किया जाता है। तकनीकी मूल्यांकन और परिणामी सलाह के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि उपर्युक्त के अनुसार उपयोगी जीवन का अनुमान सर्वोत्तम अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रबंधन इन संपत्तियों का उपयोग करने की अपेक्षा करता है।

वर्ष के दौरान जोड़ा गया/निपटान किए संपत्ति, यंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास अधिग्रहण/निपटान की तारीख के संबंध में प्रो-रेटा आधार पर प्रदान किया जाता है।

9. परिसंपत्ति का हानि

परिसंपत्ति का हानि पर भा.ले.म 36 को संतुष्ट करने की स्थिति में नहीं है सर्वोच्च न्यायालय में परिचोजना पर निर्णय लंबित है ।

10. राजस्व मान्यता

कंपनी ने आज तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है। लाभ और हानि के विवरणिका में दिखाए गए अन्य आय में बैंकों में अप्रयुक्त धन की अल्पकालिक जमा से अर्जित अंतर शामिल है। इस आय से सभी व्यय पूरा किए जाते हैं और अधिशेष व आरक्षण और अधिशेष में स्थानांतरित किया जाता है। ब्याज आय को समय अनुपात के आधार पर पहचाना जाता है।

11. विदेशी मुद्रा परिवर्तन

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लेनदेन विदेशी मुद्रा में नहीं है तथा इसलिए भा.ले.मा.21 में लागू नहीं है ।

12. निवेश

कंपनी द्वारा भा.ले.मा.32, भा.ले.मा.107 और भा.ले.मा. 109 के तहत निर्धारित कोई नहीं किया गया तथा इसलिए लागू नहीं है ।

13. कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा कार्पोरेशन, अधिवर्षिता निधि तथा उपदान निधि हेतु कंपनी को कोई बाध्यता नहीं है तथा इसलिए भा.ले.मा. 19 का प्रावधान लागू नहीं है ।

14. उधार लेने की लागत

कंपनी को कोई उधार नहीं है तथा इसलिए भा.ले.मा. 23 लागू नहीं है ।

15. संबंधित पार्टि प्रकटीकरण

संबंधित पार्टि प्रकटीकरण पर भा.ले.मा. 24 के आधार पर संबंधित पार्टि लेनदेन पर सूचना का संकलन किया गया ।

16. पट्टे

कंपनी द्वारा कोई पट्टे करार हस्ताक्षरित नहीं किया गया तथा इसलिए भा.ले.मा. 17 लागू नहीं है ।

17. निवेश परिसंपत्ति

कंपनी के कोई निवेश परिसंपत्ति नहीं है तथा इसलिए भा.ले.मा.40 लागू नहीं है ।

18. वित्तीय परिसंपत्ति एवं देयताएँ

अपने वित्तीय परिसंपत्ति तथा देयता को कंपनी द्वारा पहचाना गया तथा वर्गीकत्रत किया गया तथा वित्तीय इनस्ट्रुमेंट – एन एस 32, ए एस 107 तथा आई एन डी ए एस 109 के तहत उल्लिखित अनुसार सही मूल्य पर लेखाकृत किया गया था ।

19. इंटेजबल परिसंपत्ति

असमानता अगर कोई हो तो इंटेजबल परिसंपत्तियों को कम लागत में मूल्यांकित किया जाता है तथा ये उपलब्ध होने की तारीख से लेकर स्ट्रेइट लाइन बेसिस पर संबंधित प्रयोगी लाइनस पर कम हो जाता है ।

अमूर्त संपत्ति को पहचानने पर लाभ या हानि के विवरण में अमूर्त संपत्ति (नेट निपटान आय और परिसंपत्ति को लाने वाली राशि के बीच अंतर के रूप में गणना) की पहचान पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को शामिल किया जाता है ।

20. प्रावधान, कंटीजेंट देयताएँ तथा कंटीजेंट परिसंपत्तियाँ

पिछले इवेंट के कारण जब कंपनी को मौजूदा आबलिंगेशन (कानून या निर्मात्मक) हो तो प्रावधानों का पहचान किया जाता है । यह संभाव्य होता है कि आबलिंगेशन को सेटल करने हेतु आर्थिक सुविधाओं के औटफलो की जरूरत होती है तथा आबलिंगेशन की वास्तविक राशि से प्राक्कलन किया जा सकता है ।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूदा आबलिंगेशन को सेटल करने हेतु विचार के अच्छे प्राक्कलन की आवश्यकता होती है तो रोशि को प्रावधान के रूप में मान्य किया जाता है ।

किसी भी प्रावधान से संबंधित व्यय लाभ या हानि के विवरण, किसी भी प्रतिपूर्ति के नेट को प्रस्तुत किया जाता है ।

कंपनी के खिलाफ दावों के संबंध में कानूनी और अन्य दावों को शामिल करने पर संगत देनदारियां उत्पन्न हो सकती हैं, उनकी प्रकृति से, आकस्मिकताओं को तभी हल किया जाएगा जब एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाएं होती हैं या विफल होने लगती हैं । अस्तित्व और संभावित क्वांटम का मूल्यांकन, अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण निर्णय का अभ्यास और भविष्य की घटनाओं के नतीजे के अनुमानों के उपयोग में शामिल है ।

21. प्रति शेयर में उपार्जन

वर्ष 2024-25 के लिए कार्य के लिए आई एन डी ए एस 33 लागू होता है ।

22. नकद और नकद समकक्ष

बैलेंस शीट में नकदी और नकद समकक्षों में बैंक और हाथ और अल्पकालिक जमा पर नकद शामिल है ।

चालू निवेशों को राष्ट्रीय बैंकों के साथ स्थाई जमा में किया जाता है जहाँ लागत और रिलाइएजेबल मूल्य के बीच कोई अंतर नहीं रहेगा ।

23. इंटरिम वित्तीय रिपोर्टिंग

भा.ले.मा. 34 लागू नहीं है ।

वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पणी

टिप्पणी
सं.

3 गैर चालू परिसंपत्तियां
संपत्ति संयंत्र उपकरण
वहन राशि का समाधान

(रुपये में)

	कंप्यूटर और सहायक उपकरण	फर्नीचर और फिक्स्चर	वाहनों	कार्यालय उपकरण	कुल
लागत या डीमंड लागत (सकल वहन राशि)					
01.04.2023 को शेष राशि	13,42,763.00	43,48,387.00	5,10,550.00	33,69,047.74	95,70,747.74
जोड़	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-
विदेशी परिचालनों के अनुवाद पर विनिमय मतभेद	-	-	-	-	-
31.03.2024 को शेष राशि	13,42,763.00	43,48,387.00	5,10,550.00	33,69,047.74	95,70,747.74
01.04.2024 को शेष राशि	13,42,763.00	43,48,387.00	5,10,550.00	33,69,047.74	95,70,747.74
जोड़	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-
विदेशी प्रचालन के अनुवाद पर विभिन्नता का एक्सचेंज	-	-	-	-	-
31.03.2025 को शेष राशि	13,42,763.00	-	-	-	95,70,747.74
संचित मूल्यहास और हानि					
01.04.2023 को शेष राशि	-	-	-	-	90,94,205.00
वर्ष के लिए मूल्यहास	-	-	-	-	-
मूल्यहास समायोजन	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-
विदेशी प्रचालन के अनुवाद पर विभिन्नता का एक्सचेंज	-	-	-	-	-
31.03.2024 को शेष राशि	-	-	-	-	90,94,205.00
31.03.2024 को शेष राशि					90,94,205.00
वर्ष के लिए मूल्यहास	-	-	-	-	-
मूल्यहास समायोजन	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-
विदेशी प्रचालन के अनुवाद पर विभिन्नता का एक्सचेंज	-	-	-	-	-
31.03.2025 को शेष राशि	-	-	-	-	90,94,205.00
वहन राशि (निबल)					
31.03.2024 तक	13,42,763.00	43,48,387.00	5,10,550.00	33,69,047.74	4,76,542.74
31.03.2025 तक	13,42,763.00	82 -	-	-	4,76,542.74

- (i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का लेखा ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण और स्थापना से संबंधित सभी लागतों को पूंजीकृत किया जाता है।
- (ii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की शुद्ध वहन राशि, स्थायी परिसंपत्ति की लागत या लागत के स्थान पर प्रतिस्थापित अन्य राशि, उसके अवशिष्ट मूल्य को घटाकर प्राप्त राशि होती है।
- (iii) स्थायी परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन वह अवधि है जिसके दौरान किसी परिसंपत्ति के किसी इकाई द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध रहने की उम्मीद की जाती है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी में निर्दिष्ट स्थायी परिसंपत्तियों के अवशिष्ट जीवन को अपनाया है।
- (iv) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यहास विधि और उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो समायोजित किया जाता है। तकनीकी मूल्यांकन और परिणामी सलाह के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिए गए उपयोगी जीवन के अनुमान उस अवधि को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं जिसके दौरान प्रबंधन विशेषज्ञ इन परिसंपत्तियों का उपयोग करते हैं।
- (vi) ऋणात्मक शेष पिछले वर्षों के अतिरिक्त मूल्यहास को दर्शाता है।

	31.03.2025 तक रु. लाखों में	31.03.2024 तक रु. लाखों में
4 पूंजीगत कार्य प्रगति पर		
कैपिटल ड्रेजिंग	84,096.34	84,096.34
तटीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम	517.94	517.94
नेविगेशन सहायता	-	-
तट आधारित सुविधाएं	160.76	160.76
वीटीएमएस सिस्टम	12.01	12.01
सर्वेक्षण, अध्ययन और संबद्ध व्यय	1,811.71	1,811.71
	86,598.76	86,598.76
31 मार्च तक शेष राशि	86,598.76	86,598.76

विभिन्न मुकदमों के कारण 2007 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर कैपिटल ड्रेजिंग कार्य को निलंबित कर दिया गया था। कैपिटल डब्ल्यूआईपी में (ए) कैपिटल ड्रेजिंग, नेविगेशनल एड्स, वीटीएमएस सिस्टम, (बी) तट आधारित सिविल कार्य (सी) तटीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी मछली पकड़ने के बंदरगाहों का विकास, (डी) सर्वेक्षण और अध्ययन और अन्य सेवाओं पर किए गए खर्च शामिल हैं, उनके साथ किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार ठेकेदार से वसूल की जाने वाली किसी भी राशि को समायोजित करने के बाद। एडम्स ब्रिज के संबंध में ड्रेजिंग कार्य को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के परिणामस्वरूप 17.9.07 से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। काम को फिर से शुरू करना और पूरा करना भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले पर निर्भर हो सकता है।

सीडब्ल्यूआईपी आयु निर्धारण अनुसूची	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजनाएँ				
परियोजनाएँ अस्थायी रूप से निलंबित			86,598.76	86,598.76

5 अन्य इंटेजबल परिसंपत्तियां

	सकल वहन राशि 31.03.2024	संचित मूल्यहास 31.03.2025	संचित मूल्यहास 31.03.2024	शुद्ध वहन राशि 31.03.2025	शुद्ध वहन राशि 31.03.2024
इंटेजबल परिसंपत्ति					
1. सॉफ्टवेयर	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00
कुल	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00

सॉफ्टवेयर के संबंध में, 3 वर्षों की अनुमानित जीवन अवधि में एसएलएम आधार पर पिछले वर्षों में पूर्णतः दावा किया गया मूल्यहास

6 अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति
संबंधित पक्षों को अग्रिम

असुरक्षित, अच्छा माना जाता है

फुटकर प्राप्तियाँ

आयकर वापसी

फुटकर समायोजन

सुरक्षित, अच्छा माना जाता है

किराया, बिजली, आदि के लिए सुरक्षा जमा

पूँजीगत अग्रिम

असुरक्षित, अच्छा माना जाता है

पाक स्ट्रेट पर ड्रेजिंग के लिए डीसीआई को अग्रिम भुगतान*

कुल

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
	-	-
	-	-
	81.20	307.89
	3.91	39.39
	-	-
	85.11	347.28

लंबे समय तक चले अदालती मामलों के कारण डीसीआई ने 27.07.2009 को सभी ड्रेजिंग कार्य वापस ले लिए। हालाँकि, डीसीआई ने किए गए ड्रेजिंग कार्य के लिए अतिरिक्त लागत का दावा किया। इस संबंध में कई समितियों का गठन किया गया। अंततः, राज्य मंत्री ने एस एंड एफए, राज्य मंत्री, संयुक्त सचिव (पी) और डीए (पी) के साथ एक समिति गठित की। इस समिति की 25.02.2019 को एक बैठक हुई और कंपनी द्वारा डीसीआई को दी जाने वाली 136.72 करोड़ रुपये की राशि को अंतिम रूप दिया गया। कंपनी के उपलब्ध कोष से 71.00 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया और कंपनी ने राज्य मंत्री, भारत सरकार से 115.72 करोड़ रुपये के अनुदान का अनुरोध किया है, इसलिए डीसीआई को अग्रिम भुगतान को प्रगति पर पूँजीगत कार्य के तहत हिसाब में लिया गया है क्योंकि निपटाई जाने वाली राशि पर अंतिम समझौता हो चुका है। नेविगेशनल एड्स की बिक्री में 226.69 लाख रुपये की हानि को विविध समायोजन खाते से हटा दिया गया और वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान नेविगेशनल एड्स की बिक्री पर हानि के रूप में लाभ और हानि खाते में दर्ज किया गया।

7 वतमान संपात्ते		
व्यापार प्राप्य: लॉन्च, चैनल बॉय और पट्टा शुल्क की बिक्री	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
संबंधित पक्षों से प्राप्तियां		
चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट	-	-
एन्नोर पोर्ट लिमिटेड	-	-
तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट	131.62	131.62
व्यापार प्राप्तियां		
कांडला पोर्ट ट्रस्ट	3.58	3.58
मोरमागाओ पोर्ट ट्रस्ट	643.64	643.64
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट	8.31	8.31
न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट	1.95	1.95
	789.09	789.09

व्यापारिक प्राप्य में विभिन्न बंदरगाहों से लॉन्च और चैनल बॉय की बिक्री/पट्टे के लिए देय राशि शामिल है। व्यापारिक प्राप्य में कुछ अपुष्ट शेष राशियाँ भी शामिल हैं, जिनका प्रबंधन की राय में, खातों में दर्शाए अनुसार, सामान्य व्यावसायिक क्रम में मूल्यांकित किया जाएगा। व्यापारिक प्राप्य के अंतर्गत दर्शाई गई राशियाँ सामान्य व्यावसायिक क्रम में व्यापारिक प्राप्य नहीं हैं।

विविध देनदारों के संबंध में, कंपनी के पास संबंधित पक्षों की व्यक्तिगत गारंटी के अलावा कोई अन्य सुरक्षा नहीं है।

लांचों की बिक्री/पट्टे से संबंधित प्रमुख बंदरगाहों के साथ विस्तृत नियमों और शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने तक, प्रमुख बंदरगाहों द्वारा विलंबित भुगतान के लिए प्राप्त होने वाला ब्याज, यदि कोई हो, को लेखा पुस्तकों में अनुसूची के अनुरूप नहीं दर्ज किया गया है। **इंड एस 115.**

विवरण	31 मार्च 2025 तक भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवाधि के लिए बकाया				
	< 6 महीने	< 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	> 3 वर्ष
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है		-	-	-	-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य- संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	789.09
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य- संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-
विवरण	31 मार्च 2024 तक भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवाधि के लिए बकाया				
	< 6 महीने	< 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	> 3 वर्ष
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य- संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	789.09
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य- संदिग्ध माना जाता है	-	85	-	-	-

8 नकद और नकद समकक्ष

(क) बैंकों के पास शेष राशि

इंडियन बैंक खाता संख्या 422161367

इंडियन बैंक खाता संख्या 802770387

इंडियन बैंक एसबी खाता संख्या 6469440457

बैंकों में अल्पकालिक जमा

(ख) हाथ में नकदी

कुल

31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
-	-
-	-
10.08	25.57
305.00	300.00
0.05	0.10
315.13	325.67

(मैं) बैंकों से उनके द्वारा धारित अल्पकालिक जमाओं के लिए शेष राशि की पुष्टि प्राप्त कर ली गई है।

(ii) चूंकि वर्तमान निवेश राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा है, इसलिए लागत और प्राप्ति योग्य मूल्य के बीच कोई अंतर नहीं होगा।

9 ऋण

(मैं) (क) संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम

(बी) अन्य - सुरक्षित, अच्छा माना जाता है

कर्मचारियों को अग्रिम

कुल

31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
-	-
0.00	0.00
0.00	0.00

(ii) निदेशकों/अधिकारियों से देय राशि सहित ऋण और अग्रिम निम्नानुसार हैं:

वर्ष के अंत तक देय

वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय देय अधिकतम राशि

(शून्य)

(शून्य)

(शून्य)

(शून्य)

10 अन्य वित्तीय संपत्तियां

अल्पकालिक जमा पर अर्जित ब्याज

बैंकों से देय ब्याज

किराया जमा करना

31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
12.18	12.72
0.00	0.00
17.79	
29.97	12.72

11 अन्य चालू परिसंपत्तियां

अग्रिम कर, जीएसटी आईटीसी और टीडीएस

प्रीपेड किराया और अन्य खर्च

कुल

31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
5.53	4.93
7.87	0.00
13.40	4.93

12 ए. अधिकृत, जारी, अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी

अधिकृत:

1,00,00,00,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 10/- रुपये
(पिछले वर्ष 1,00,00,00,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 10/- रुपये)

जारी, अभिदत्त और चुकता:

10/- रुपये प्रति शेयर के 74,50,00,000 पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर
(पिछले वर्ष 74,50,00,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 10/- रुपये)

कुल

31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
1,00,000.00	1,00,000.00
#REF!	#REF!
#REF!	74,500.00

परियोजना के लिए निर्धारित रु.1000 करोड़ की अधिकृत पूंजी में से रु.745 करोड़ विभिन्न हितधारकों द्वारा सब्सक्राइब और भुगतान किए जा चुके हैं। भारत सरकार का अंशदान रु.495 करोड़ है। वीओ चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा रु.50-50 करोड़ का अंशदान दिया गया है। शेष रु.150 करोड़ डेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट, एण्णूर पोर्ट लिमिटेड, विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट और पारादीप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा रु.30-30 करोड़ का अंशदान दिया गया है।

बी. वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का समाधान:

	2024-2025	2023-2024
	संख्या	संख्या
वर्ष की शुरुआत में बकाया इक्विटी शेयर	74,50,00,000	74,50,00,000
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयर	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए/मोदी गए इक्विटी शेयर	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	74,50,00,000	74,50,00,000

सी. रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी के 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	शेयर का वर्ग	31.03.2025 तक		31.03.2024 तक	
		धारित शेयरों की संख्या	होल्डिंग का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	होल्डिंग का प्रतिशत
भारत सरकार	इक्विटी	49,50,00,000	66.43	49,50,00,000	66.44
वीओचिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट	इक्विटी	5,00,00,000	6.71	5,00,00,000	6.71
भारतीय नौवहन निगम	इक्विटी	5,00,00,000	6.71	5,00,00,000	6.71
अन्य	इक्विटी	15,00,00,000	20.15	15,00,00,000	20.13
डेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया					
चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट					
एण्णूर पोर्ट लिमिटेड					
विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट					
पारादीप पोर्ट ट्रस्ट					
कुल		74,50,00,000	100.00	74,50,00,000	100.00

डी. दिनांक को कंपनी में शेयरधारकों की हिस्सेदारी का विवरण

शेयरधारक का नाम	शेयर का वर्ग	आज की तारीख में		वर्ष के दौरान परिवर्तन (% में)
		धारित शेयरों की संख्या	होल्डिंग का प्रतिशत	
भारत सरकार	इक्विटी	49,50,00,000	66.43	0.00%
वीओचिधंबरनार पोर्ट ट्रस्ट	इक्विटी	5,00,00,000	6.71	0.00%
भारतीय नौवहन निगम	इक्विटी	5,00,00,000	6.71	0.00%
डेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	इक्विटी	3,00,00,000	4.03	0.00%
चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट	इक्विटी	3,00,00,000	4.03	0.00%
एन्नोर पोर्ट लिमिटेड	इक्विटी	3,00,00,000	4.03	0.00%
विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट	इक्विटी	3,00,00,000	4.03	0.00%
पारादीप पोर्ट ट्रस्ट	इक्विटी	3,00,00,000	4.03	0.00%
कुल		74,50,00,000	100.00	

13 अन्य इक्विटी

अन्य भंडार

1. पूंजी आरक्षित

- अंतिम बैलेंस शीट के अनुसार
- जोड़ / (कटौती)

कुल

2. प्रतिधारित आय

- 31.03.2023 तक
- अवधि के लिए लाभ / (हानि)
- पिछले वर्षों का अतिरिक्त मूल्यहास
- अन्य व्यापक आय, कर के बाद
- पिछले वर्षों का अतिरिक्त मूल्यहास
- 31.03.2024 तक

कुल (1+2)

कंपनी ने अभी तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है। लाभ-हानि विवरण में दर्शाई गई अन्य आय में बैंकों में अप्रयुक्त निधियों के अल्पावधि जमा से अर्जित ब्याज शामिल है। सभी व्यय इसी आय से पूरे किए जाते हैं और अधिशेष को आरक्षित निधि एवं अधिशेष में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

14 प्रावधान गैर चालू देयताएं

<u>31.03.2025 तक</u>	<u>31.03.2024 तक</u>
#REF!	#REF!
-	-
#REF!	#REF!
#REF!	5,528.45
#REF!	#REF!
-	-
-	-
-	-
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!

<u>31.03.2025 तक</u>	<u>31.03.2024 तक</u>
0.00	0.00
-	-

15 अन्य गैर चालू देयताएं

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
(क) अन्य पक्षों से जमा	0.00	0.00
कुल	0.00	0.00

16 अन्य वर्तमान देनदारियां

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
देय लेखा परीक्षा शुल्क	0.65	0.60
देय व्यय	34.00	0.07
देय शुल्क और कर	0.76	0.03
देय किराया	0.00	0.00
विविध लेनदारों को देय	0.16	0.00
ड्रेजिंग के लिए प्रावधान	6,572.00	6,572.00
कुल	6,607.57	6,572.70

देय शुल्कों और करों में टीएनवीएटी और टीडीएस भुगतान शामिल हैं

(मैं)

व्यापार देय आयु निर्धारण अनुसूची					
विवरण	31 मार्च 2025 तक भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				कुल
	< 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	> 3 वर्ष	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	35.57	-	-	6,572.00	6,607.57
(iii) विवादित बकाया- एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया-अन्य	-	-	-	-	-
विवरण	31 मार्च 2024 तक भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अ.				कुल
	< 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	> 3 वर्ष	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	0.70	-	-	6,572.00	6,572.70
(iii) विवादित बकाया- एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया-अन्य	-	-	-	-	-

17 प्रावधानों

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
	0.00	0.00
कुल	0.00	0.00

18 वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
कराधान के लिए प्रावधान	0.00	0.00
	0.00	0.00

		31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
19	अन्य कमाई		
	अल्पकालिक जमा पर ब्याज	23.16	22.30
	विविध आय	0.06	0.02
	कुल	23.22	22.32
20	कर्मचारी लाभ व्यय		
	अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	0.00	0.00
	वेतन और मजदूरी - अनुबंध कर्मचारी	18.54	14.41
	वेतन एवं मजदूरी - प्रतिनियुक्ति अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी कल्याण व्यय	5.53	6.74
		0.00	0.00
	कुल	24.06	21.15
	वर्ष के दौरान अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को दिया गया प्रबंधकीय पारिश्रमिक शून्य है।		
		31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
21	अन्य खर्चों		
	ऑडिट शुल्क	0.71	0.60
	प्रशासनिक व्यय	0.89	1.07
	किराया	17.00	16.46
	कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	1.69	0.53
	मरम्मत और रखरखाव	0.23	0.01
	यात्रा और परिवहन	0.04	0.03
	नेविगेशनल एड्स की बिक्री पर नुकसान	226.69	0.00
	पूर्व अवधि के व्यय	0.11	0.00
	कुल	247.36	18.70
22	कर व्यय		
	वर्तमान कर	0.00	0.00
	आस्थगित कर	-	-
	कुल	0.00	0.00
	कंपनी को वित्त वर्ष 2024-25 में घाटा हो रहा है, इसलिए कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। चूंकि चालू वित्त वर्ष के दौरान मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/आस्थगित कर देनदारियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं।		
23	लाभ और हानि खाते में अधिशेष		
	कंपनी निर्माण चरण में है और सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है, और कंपनी ने अभी तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के भाग II के अनुसार आवश्यक विवरण लाभ-हानि विवरण में प्रकट किए गए हैं और शुद्ध अधिशेष/घाटे को बैलेंस शीट में अन्य इक्विटी के अंतर्गत अलग से प्रकट किया गया है।		

24 आकास्मिक देयताएं

विवरण	अनुमानित राशि (लाखों रुपये में)	
	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
कंपनी के विरुद्ध दावे/ विवादित देनदारियां जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		
ए. वीओसी पोर्ट ट्रस्ट द्वारा दावा किया गया सेंटेज शुल्क	785.00	785.00
बी. बैठक व्यय के हिस्से के लिए	0.83	0.83

25 आईएनएस 24 द्वारा अपेक्षित संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

क) संबंधों का विवरण और संबंधित पक्षों के नाम

i) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

ii) शेयरधारक

लेन-देन की प्रकृति	महतवपूर्ण प्रबंधन	शेयरधारकों
	(पिछले वर्ष के आंकड़ों को दृष्टि में रखा गया है)	
निदेशक को अतिरिक्त प्रभार का भुगतान	2.70 (2.69)	
भुगतान किया गया किराया (जुमाना सहित)		17.00 (16.46)
व्यापार प्राप्तियां		131.62 (131.62)
अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति		3.91 (39.39)

वर्ष के दौरान प्रबंधकीय पारिश्रमिक 2.70 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

26 व्यापार प्राप्य, जमा, विविध समायोजन, विविध प्राप्य और पूंजी अग्रिम पुष्टि और समाधान के अधीन हैं।

27 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के भाग II के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त जानकारी

- | | |
|---|---------|
| (i) वर्ष के दौरान आयात का सीआईएफ मूल्य | (शून्य) |
| (ii) रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, परामर्श आदि के कारण विदेशी मुद्रा में व्यय। | (शून्य) |
| (iii) वर्ष के दौरान आयातित स्पेयर पार्ट्स और घटकों का मूल्य | (शून्य) |
| (iv) वर्ष के दौरान लाभांश के रूप में विदेशी मुद्रा में भुगतान की गई राशि | (शून्य) |
| (v) विदेशी मुद्रा में आय | (शून्य) |

28

कंपनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 में परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय बकाया राशि के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की है/पहचान नहीं की है। इसलिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य को बकाया राशि का विवरण नहीं दिया गया है।

29 (i) नोट 3 को छोड़कर शेष सभी आंकड़ों निकटतम लाख रुपये तक पूर्णांकित किए गए हैं।

(ii) पिछले वर्ष के आंकड़ों को इस वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यकतानुसार पुनः समीचीकृत किया गया है।

30 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर आय की गणना शेयरधारकों को मिलने वाले लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर आय की गणना इस प्रकार की जाती है:

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
कर के बाद लाभ / (हानि) - रु. लाख	(248.20)	(17.54)
इक्विटी शेयरों की संख्या - लाखों में	7,450.00	7,450.00
प्रति शेयर अंकित मूल्य	10.00	10.00
प्रति शेयर आय (ईपीएस)	(0.03)	(0.00)

31

अनुसूची III में नवीनतम संशोधन के अनुसार अनुपात निम्नानुसार हैं:					
				वित्त वर्ष-2024-2025	वित्त वर्ष-2023-2024
(1) चालू अनुपात				0.17	0.18
कुल चालू परिसंपत्तियाँ/चालू देनदारियाँ					
(2) शुद्ध ऋण इक्विटी अनुपात				लागू नहीं	लागू नहीं
(शुद्ध ऋण/ओसत इक्विटी)					
(3) ऋण सेवा कवरेज अनुपात				लागू नहीं	लागू नहीं
(ईबीआईटी/वित्त लागत + गैर-वर्तमान उधारों की अनुसूचित मूलधन चुकौती)					
(4) इक्विटी पर रिटर्न (%)				-0.30%	-0.02%
(कर के बाद लाभ (पीएटी)/ओसत इक्विटी)					
(5) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (दिनों में)				लागू नहीं	लागू नहीं
(ओसत इन्वेंट्री/उत्पादों की बिक्री दिनों में)					
(6) देनदार कारोबार अनुपात (दिनों में)				लागू नहीं	लागू नहीं
(ओसत व्यापार प्राप्य/दिनों में कारोबार)					
(7) व्यापार देय कारोबार अनुपात (दिनों में)				लागू नहीं	लागू नहीं
(ओसत व्यापार देय/व्यय)					
(8) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (दिनों में)				लागू नहीं	लागू नहीं
(ओसत कार्यशील पूंजी/टर्नओवर)					
(9) शुद्ध लाभ अनुपात (%)				लागू नहीं	लागू नहीं
(कर के बाद शुद्ध लाभ/टर्नओवर)					
(10) नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%)				-0.30%	-0.02%
(ईबीआईटी/ओसत नियोजित पूंजी)					
(11) निवेश पर प्रतिफल (%)				लागू नहीं	लागू नहीं
(स्पेचुअल फंडों की बिक्री/उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ/(हानि)/वर्तमान निवेशों में ओसत निवेश फंड)					

32

कंपनी ने 2004 में अपनी स्थापना के बाद से अब तक कोई व्यावसायिक परिचालन शुरू नहीं किया है। विभिन्न मुकदमों के कारण 2007 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर पूंजीगत ड्रेजिंग कार्य स्थगित कर दिया गया था। वर्ष 2009 और उसके बाद से परिचालन गतिविधियों के बंद होने के कारण कंपनी ने टग, नेविगेशनल एड्स, लॉन्च, बॉय जैसी विभिन्न परिचालन संपत्तियाँ भी बेच दी हैं। राज्य मंत्री के दिनांक 18.06.2019 के पत्र के अनुसार, SCL ने दिनांक 28.06.2019 को अपनी 59वीं बोर्ड बैठक में कानूनी राय प्राप्त करने के बाद कंपनी को बंद करने का प्रस्ताव राज्य मंत्री को भेजने की स्वीकृति प्रदान की। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने 13.12.2019 को अपनी राय दी कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 272 के तहत अन्य शर्तों के अधीन निगम का परिसमापन किया जा सकता है। सेतुसमुद्रम निगम को बंद करने के संबंध में माननीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 29.04.2021 को हुई बैठक में डीसीआई को देय राशि के निपटान की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। 24.06.2021 के पत्र के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मंत्रालय ने डीसीआई को देय शेष राशि के संबंध में 29.04.2021 को लिए गए निर्णय पर टिप्पणियाँ भेजने का अनुरोध किया है ताकि एससीएल को बंद करने की गतिविधियों को 6 महीने के भीतर पूरा करने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित की जा सके। तदनुसार, कंपनी ने 27.07.2021 को अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर दी हैं।

33

कंपनी ने अभी तक अपने बोर्ड में कंपनी सचिव के रूप में एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य है।

बोर्ड की ओर से

रवि और रघु के लिए
चाटेड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 005060S

ह/-
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

ह/-
(के रावे)
साथी
एम.नं.026783
यूडीआईएन नं.25026783बीएमआईएक्सक्यूओ9287

ह/-
श्रीमती जे.पी. आइरिन सिंथिया, आई.ए.एस.
निदेशक

ह/-
मल्ला श्रीनिवास राव
महाप्रबंधक (वित्त)
स्थान: चेन्नई
तारीख: 01.08.2025

SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

CIN : U75111TN2004GOI054824 Regd. Office: Indian Maritime University, Uthandi, Chennai – 600 119.

सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड			
नकदी प्रवाह विवरण			
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए			
	विवरण	31 मार्च 2025 तक रु. लाखों में	31 मार्च 2024 तक रु.लाखों में
ए	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह असाधारण मद और कर से पहले निबल लाभ <i>समायोजित:</i> वर्ष के लिए मूल्यहास निवेश पर ब्याज कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन व्यापार प्राप्त में (वृद्धि) / कमी ऋण तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी अन्य चालू परिसंपत्तियाँ में (वृद्धि) / कमी अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी अन्य चालू देनदारियों में वृद्धि / (कमी) अन्य गैर-चालू देयताओं में वृद्धि / (कमी) प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) वर्तमान कर देयता में वृद्धि / (कमी) प्रचालन से नकद उपार्जन आयकर का भुगतान असाधारण मदों से पहले नकदी प्रवाह <i>असाधारण वस्तुएँ:</i> प्रगति पर पूंजीगत कार्य की बिक्री पर हानि हानि के लिए प्रावधान <i>गैर-नकद मदों के लिए समायोजित</i> असाधारण वस्तुओं से नकदी प्रवाह प्रचालन कार्यकलापों से निबल नकद	-248.20 - (23.16) (271.36) - (17.24) (8.45) 262.17 1.21 - - - (33.67) - (33.67) - - - (33.67)	-17.54 - (22.30) (39.84) - (5.02) 13.37 - (3.62) - - - (35.11) - (35.11) - - - (35.11)
बी	निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाह निवेश से ब्याज आयकर रिफंड पर ब्याज निवेश कार्यकलापों से निबल नकद	23.16 - 23.16	22.30 - 22.30
सी	वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह	-	-
	नकदी और नकद समकक्षों में निबल वृद्धि वर्ष की प्रारंभ में नकदी और नकदी समकक्ष वर्ष के समाप्ति में नकदी और नकदी समकक्ष	(10.52) 325.68 315.16	(12.81) 338.49 325.68
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ			
वित्तीय तालिकाओं पर टिप्पणी को देखें		1 से 33	
हमारे समादेनांकित प्रांतेवेदन के अनुसार कृते रावे और रघु चाटेड अकाउंटेंट फम पजाकरण सख्या 0005060S ह/- (के रावे) भागोदारी एम.नं.026783 ह/- मल्ला श्रीनिवास राव महाप्रबंधक (एफ) स्थान: चेन्नई तारीख : 01.08.2025		बोर्ड की ओर से तथा के लिए ह/- अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ह/- श्रीमती जे.पी. आइरिन सिथिया, आई.ए.एस. निदेशक	

SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

CIN : U75111TN2004GOI054824 Regd. Office: Indian Maritime University, Uthandi, Chennai – 600 119.

सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड इक्विटी में परिवर्तन का विवरण 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

ए) इक्विटी शेयर पूंजी

प्रत्येक मुद्दे रु.10 की इक्विटी शेयर, सब्सक्राइब्ड और पूरी तरह से भुगतान किया गया है।

31 मार्च 2022 तक

शेयर पूंजी जारी करना

31 मार्च 2023 तक

शेयर पूंजी जारी करना

31 मार्च 2024 तक

शेयरों की संख्या	राशि
74,50,00,000	74,500
74,50,00,000	74,500
-	-
74,50,00,000	74,500
-	-
74,50,00,000	74,500

बी) अन्य इक्विटी

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

31 मार्च 2024 तक

अवधि के लिए लाभ एवं अतिरिक्त मूल्यहास

अन्य व्यापक आय, कर का निबल

कुल व्यापक आय

31 मार्च 2025 तक

पूंजी आरक्षित	बरकरार उपार्जन	कुल अन्य इक्विटी
1,499.59	5,510.90	7,010.49
-	(248.20)	(248.20)
-	-	-
-	(248.20)	(248.20)
1,499.59	5,262.70	6,762.29

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

31 मार्च 2023 तक

अवधि के लिए लाभ एवं अतिरिक्त मूल्यहास

अन्य व्यापक आय, कर का निबल

कुल व्यापक आय

31 मार्च 2024 तक

पूंजी आरक्षित	बरकरार उपार्जन	कुल अन्य इक्विटी
1,499.59	5,528.45	7,028.04
-	(17.55)	(17.55)
-	-	-
-	(17.55)	(17.55)
1,499.59	5,510.90	7,010.49

हमारे समावेदनों के तहत प्रमाणित करने के अनुसार

कृते रावे और रघु

चाटर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या 0005060S

बोर्ड की ओर से तथा के लिए

ह/-

(के रावे)

भागोदारों

एम.नं.026783

ह/-

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

ह/-

मल्ला श्रीनेवास राव

महाप्रबंधक (एफ)

स्थान: चेन्नई

तारीख : 01.08.2025

ह/-

श्रीमती जे.पी. आइरिन सिंथिया, आई.ए.एस.

निदेशक